अध्याय–4
जिला गरीबी उपक्रमण परियोजना का परिचयात्मक विश्लेषण

4.0 परिचय

जिला गरीबी उपक्रमण परियोजना (डीपीआईपी) एक अभिनव परियोजना है जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है एवं प्रदेश के 14 जिलों के 2932 गाँवों में इसका कियान्वयन वर्ष 2001 से प्रारंभ किया गया। चयनित 14 जिले इस प्रकार हैं : शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, गुना, शिवपुरी, नरसिंहपुर, रायसेन, दमोह, सागर, रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सीधी। परियोजना का क्रियान्वयन समुदाय द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं, वित्त संस्थाओं और अन्य विभागों के सहयोग से किया जाता है। महिला सशक्तिकरण इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है। परियोजनान्तर्गत करीब 30,000 से अधिक समहित समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें करीब 6000 से अधिक महिला समहित समूह हैं।

इस परियोजना में गरीब परिवारों को समहित समूहों में संगठित कर उनके क्षमतावर्धन के प्रयास किये गए हैं ताकि वे स्वयं के लिये एक उपयुक्त एवं स्वपोषी या संवहनीय अजीविका निर्मित कर सकें। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित यह गरीबी उन्मूलन की एक मांग आधारित परियोजना है जिसमें एक तरह की पृष्ठभूमि वाले गरीब परिवार मिलकर एक समहित समूह का गठन कर अपनी पसंद अनुसार एक आयवर्धक गतिविधि का चयन करते हैं जिसके लिये परियोजना से उन्हें अनुदान एवं अन्य गैर–वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाती है ताकि उनकी गतिविधि दीर्घकालिक एवं लाभदायक हो। यह परियोजना गरीबी कम करने के प्रयासों के रूप में मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। राज्य सरकार में सुधार करने और सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है। परियोजना विकेन्द्रीकरण को मजबूत करने और गरीबी कम करने के लिए प्रभावी तरीका अपनाकर इस दिशा में पूरक का काम करेगी। मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकरण का जो स्वरूप है उसमें जिला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जाती है कि परियोजना संबंधी

अधिकांश निर्णय व कार्यवाही जिले के अंदर ही हों। यह परियोजना समुदाय की मांग और आवश्यकताओं पर आधारित है।

4.1 परियोजना के मुख्य उद्देश्य

परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, ऐसे मौके मिलें कि वे अपने विकास में भागीदार बन सकें और विकास की दिशा पर उनका नियंत्रण हो। वे अपनी जरूरत के अनुसार क्षमता का विकास कर पायें और अपनी स्थिति सुधारने की दिशा में बढ़ सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना साधनहीन लोगों का सक्रिय समूह बनाकर उन्हें सशक्त करती है, ऐसे अवसर पैदा करेगी जिससे गांव के गरीबों की आय सुनिश्चित रहे और गांव में ऐसी संस्थाएं विकसित करने को प्रोत्साहन देगी जो ज्यादा प्रभावकारी और जबावदेह हों। इनमें जिला पंचायत और ग्राम पंचायत भी शामिल हैं। इनकी पूर्ति हेतु परियोजना निम्न बाधाओं को दूर करने के लिए संकल्पित है –

1. गरीबों में संगठन और कौशल की कमी,
2. कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और वित्त प्रबंधन पर समुदायों का नियंत्रण न होना,
3. ठीक ढंग से लक्ष्य न बनाया जाना और गरीबों के लिए विकास के कार्यक्रमों का प्रबंधन ठीक न होना,
4. विकास के निर्णयों में समुदाय की भागीदारी न होना।
5. पंचायतीराज संस्थाओं की क्षमता तथा जबावदेही में कमी और उनका आपस में मिलकर काम न कर पाना,
6. बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं की कमी और परियोजना के अंतर्गत चयनित लगभग 2100 गांवों में निवेश का उपयुक्त न होना और उन तक गरीबों की पहुंच न होना ।

4.2 परियोजना की रणनीति

परियोजना अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाती है।

1. साधनहीन समूहों को सशक्त बनाने के लिए व्यष्टि वित (माइक्रोफ़ाइनन्स) अधिकतम रू. 20,000 प्रति सदस्य के मान से उनके बैंक के खातों में जमा

कर उन पर उनका सीधा नियंत्रण स्थापित करना। यह राशि ऋण की बजाय अनुदान के रूप में दी जाती है जिसे वापस करने की कोई बाध्यता नहीं होती।

2. यह सुनिश्चित करना कि समूह अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न संभावनाओं में से चयन कर किसी आर्थिक गतिविधि की उप–योजना विकसित करें। किसी खास गतिविधि के लिए बंधन नहीं रहेगा। किन्तु गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जो परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, समुदाय अपनी इच्छा अनुसार शासकीय और अशासकीय संस्थाओं से सहयोग भी ले सकता है।

3. समान आवश्यकताओं और समान समस्याओं को लेकर बने समूहों का परियोजना द्वारा सहयोग कर उन्हें सशक्त करना।

4. समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना और उप–योजनाओं को स्वीकृति तब ही मिलेगी जब निर्णय की प्रक्रिया प्रजातंत्रिक भागीदारी पर आधारित होगी।

5. समूहों द्वारा चयनित व क्रियान्वित गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी व स्वामित्व की भावना को विकसित कर संसाधनों की देखरेख करना तथा परियोजना, समूह को नकद/श्रम/वस्तु के योगदान व उपयोग शुल्क आदि जमा कर समूह कोष व अपना कोष गठित करेगी।

6. जिला और गांव स्तर पर स्थानीय संस्थाओं को ग्रामवार बजट आवंटन देने व समूह की गतिविधियों की देखरेख करने की जिम्मेदारी देकर सशक्त बनाया जाना।

7. परियोजना में ऐसी औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था बनाना जिससे कि परियोजना और समूहों की गतिविधियों में पारदर्शिता बने। समूह व परियोजना के विभिन्न स्तरों पर जानकारी प्रसारित हो ताकि अनुभवों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया विकसित हो।

4.3 परियोजना किसके लिए ?

परियोजना का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग, खासकर महिलायें, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के परिवार और सीमान्त किसान हैं।

1. गरीबी व पिछड़ेपन के आधार पर चयनित 14 जिलों के 47 विकासखंडों व गाँवो/ टोलो को एक संकुल / क्लस्टर के रूप में चयन किया गया है।

2. परियोजना का केन्द्र बिन्दु समूह को रखा गया है तथा इसके लिए सबसे गरीब लोग, विशेषकर महिलाएं और सीमान्त कृषकों के समूहों को संगठित कर उनमें कौशल व क्षमता का विकास करना होगा ताकि वे औपचारिक संस्थाओं से चर्चा कर आवश्यकता अनुसार संसाधन की मांग कर सकें।

4.4 परियोजना की मुख्य प्रक्रियाएं

परियोजना के अंतर्गत छः मुख्य प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं :

1. लोगों के साथ संवाद बनाना,

2. समूह बनाना और उन्हें मजबूत करना,

3. लोगों का विकास और उनकी क्षमता में वृद्धि,

4. उप–योजना तैयार करना, और उसका मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन,

5. बजट एवं आवंटन,

6. मॉनीटरिंग (देखरेख) करना और अनुभवों से सीखना।

परियोजना (डी.पी.आई.पी.) में संचार–संवाद गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परियोजना के तहत मुख्य रूप से ग्राम समाज के बीच काम करना है। इसमें भी ग्राम समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक अपना संदेश पहुंचाना है। इसलिए ग्राम समाज की बनावट, गांव वालों के परस्पर अंतर संबंध, ग्राम समाज पर विभिन्न वर्गों का प्रभाव जैसे पहलुओं को समझना जरूरी है। इसी समझ के आधार पर कमजोर वर्गों का विश्वास प्राप्त कर अपनी बात उनके बीच स्वीकार्य बनायी जा सकती है।

आमतौर पर किसी भी नये कार्यक्रम और परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभिक दौर में सबसे बड़ी चुनौती योजना के प्रति लोगों का विश्वास हासिल करना होता है। यह विश्वास धीरे–धीरे तथा उनके बीच बात–चीत, संचार, संवाद के जरिये हासिल होता है। किसी भी नयी परियोजना की सफलता के लिए योजना को लेकर उन वर्गों का विश्वास प्राप्त करना जरूरी है जिनके लिये यह योजना तैयार की गई है। संचार और संवाद की इसमें प्रभावी भूमिका होती है। इस कार्य में सरल, आत्मीय व्यवहार एवं

योजना के सकारात्मक पहलुओं, उद्देश्यों, विशेषताओं को लोगों के बीच रखना होता है। इस दृष्टि से डी.पी.आई.पी. में संचार–संवाद गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना एवं रणनीति तैयार कर उस पर अमल सुनिश्चित किया जाता है। संचार–संवाद में सहयोग–समन्वय के उद्देश्य से सरल भाषा में विभिन्न प्रकाशन भी तैयार किया गया है।

4.5 संगठन बनाना और उन्हें मजबूत करना

चयनित गांवों के साधनहीन लोगों को समहित समूहों में संगठित करने की पहल सहयोग दल करता है। सक्रिय समूहों द्वारा अपनी आवश्यकताओं पर आधारित उप–योजना बनाकर परियोजना से राशि की मांग की जाती है। यदि गांव में समूह पहले से बने हुए हैं, जैसे वाटरशेड समूह या स्वयं–सहायता समूह तो ग्रामसभा के अनुमोदन के बाद ये भी परियोजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं नियमों के तहत उप–योजना तैयार कर सकते हैं।

4.6 मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण

यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें अन्य सरकारी संस्थाओं के पारम्परिक तरीकों से अलग हटकर काम किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि इसे लागू करने में जो लोग जुटे हैं उन सभी में परियोजना की रणनीति की अच्छी समझ हो और इस काम में उनकी पूरे मन से भागीदारी हो। इसके लिए परियोजना में काम करने वाले लोगों और परियोजना से जुड़ी संस्थाओं का चहुंमुखी विकास निरंतर करना जरूरी है। परियोजना निम्न मूल्यों पर जोर देती है–

1. जनभागीदारी
2. लोगों का सशक्तीकरण
3. प्रक्रियाओं पर ध्यान देना
4. विकेन्द्रीकरण
5. अनुभवों का विश्लेषण कर उनसे सीखना
6. पारदर्शिता और सहयोगात्मक रवैया अपनाना

यह तभी होगा जब भागीदारों में एक मिली–जुली सोच व समझ विकसित होगी और स्वामित्व की भावना होगी। परियोजना से जुड़ने के पश्चात् सभी का उचित

उन्मुखीकरण होता है, जिससे उनको परियोजना की मुख्य भावना और मूल्यों से परिचित कराया जा सके जिससे प्रेरित होकर परियोजना में काम करने की विशिष्ट संस्कृति का विकास हो सके। परियोजना से जुड़े लोग परियोजना की प्रक्रियाओं को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। परियोजना में योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है। उनको प्रेरित करने के लिए उनके उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के बाद उनके कार्यों का निरंतर मूल्यांकन कर उन्हें बढ़ावा दिया जाता है।

परियोजना की सफलता के लिए समुदाय की क्षमता बढ़ाने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए समय-समय पर समहित समूहों को अन्य स्थानों के सफल योजनाओं को देखने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें काम करने तथा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.7 उप-योजना तैयार करना, मूल्यांकन और क्रियान्वयन

समहित समूह ग्राम सभा को उप-योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ग्राम सभा गांव को उपलब्ध बजट के भीतर समहित समूहों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध करती है और अनुमोदन के बाद उप-योजनाओं का प्रस्ताव राशि आवंटन के लिए जिले में प्रस्तुत करती है। समहित समूह उप-योजना तैयार करने, उसका क्रियान्वय करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है और वह सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं से तकनीकी व अन्य सहायता लेने के लिए स्वतंत्र रहती है। सभी उप-योजनाओं में समहित समूहों के सदस्यों का 15 प्रतिशत योगदान जरूरी होता है। शेष राशि की प्रतिपूर्ति अधिकतम बीस हजार रू. प्रति सदस्य के मान से परियोजना द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त समहित समूहों द्वारा उप-योजना के तहत बनाई गई परिसम्पत्तियां / सम्पत्ति को किस प्रकार देख-रेख हो, इस विषय में भी अपनी योजना देते हैं। उपयोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा किया जाता है।

4.8 बजट एवं आवंटन

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य संचालन हेतु एक पंजीकृत समिति गठित है। जिला स्तर पर जिला पंचायत की परियोजना उपसमिति होती है। यह समिति गांव में समहित समूहों द्वारा किये गये कार्यों का आकलन करने के पश्चात् वित्त प्रभाव निर्धारित करती है। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित उप-योजनाओं की सूची (ग्राम योजना) आने पर जिला सहयोग इकाई पूर्ण राशि समहित समूह के खाते में जमा

करती है। समूह को काम शुरू करने के लिए पहली किश्त तुरंत मिल जाती है। दूसरी किश्त योजना के क्रियान्वयन के दौरान तब दी जाती है जब पहली किश्त के उचित उपयोग का मूल्यांकन सहयोग दल द्वारा कर लिया जाता है एवं उपयोजना के प्रथम पडाव के लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाते हैं।

4.9 मॉनीटरिंग (देखरेख) करना और अनुभवों से सीखना

यह एक सीखने की परियोजना है। परियोजना का ढांचा लचीला रखा गया है जिससे कि ढांचे में जरूरत के अनुसार बदलाव और विकास की गुंजाइश रहे। यहां काम की शैली **''करके सीखो''** सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए देखरेख और परखने की ऐसी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं जो सभी भागीदारों को काम के अनुभवों से तुरन्त सीख दें और प्रक्रिया में सुधार लायें। परियोजना की देखरेख करते समय यह देखा जाता है कि क्या साधन लगाए गए, और क्या परिणाम निकला। परियोजना से जुड़ें लोगों और समूहों ने काम कैसा किया है, परियोजना की प्रक्रियाएं कैसी रही और परियोजना के प्रभाव क्या हुए ?

इसके लिए किए गए काम को परखा जाता है, संस्थाओं के कार्यों का आंकलन किया जाता है। भीतरी रूप से परियोजना को समझा जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। कार्य करने की श्रेष्ठतम पद्धतियों की पहचान कर उन्हें परियोजना में अपनाया जाता है।

4.10 परियोजना का प्रशासन

4.10.1 राज्य स्तरीय

राज्य स्तर पर एक पंजीकृत समिति, परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है और राज्य स्तर की नीति निर्धारण और समन्वय संबंधी मुद्दों को देखती है। वह गरीबों को लक्ष्य बनाने में जिले में क्या काम हुआ है इसका आंकलन करती है और फिर उसके आधार पर बजट आवंटन का निर्णय लेती है। मुख्यमंत्री राज्य की संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं। समिति की साधारण सभा में शासन के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, विकास आयुक्त, मिशन समन्वयक, अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव आदि इसके सदस्य होते हैं और परियोजना समन्वयक इस समिति के संयोजक होते हैं। राज्य समिति की साधारण सभा में जिलों के प्रतिनिधि, गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा

अन्य प्रतिष्ठित लोग भी सदस्य होते हैं। जिला और गैरसरकारी संगठन से नामांकित प्रतिनिधि हर दो साल में चक्रीय क्रम से बदलते रहते हैं ताकि परियोजना के सभी जिलों से प्रतिनिधियों को साधारण सभा के सदस्य के रूप में रहने का अवसर प्राप्त हो सके।

राज्य परियोजना इकाई राज्य स्तरीय समिति के प्रशासकीय अंग के रूप में काम करते हुए परियोजना क्रियान्वयन की देख रेख और पर्यवेक्षण का काम करती है। राज्य परियोजना इकाई में परियोजना समन्वयक, मानव संसाधन समन्वयक, मॉनीटरिंग समन्वयक, वित्त नियंत्रक, समन्वयक (वंचित वर्ग), क्षेत्रीय समन्वयक, संचार समन्वयक तथा प्रशासनिक समन्वयक होते हैं। इनकी भूमिकाएं इनके पदनाम के अनुरुप होती है।

4.10.2 जिला स्तरीय

परियोजना के अंतर्गत हर जिले में जिला पंचायत की परियोजना उपसमिति, परियोजना की समीक्षा के लिए होती है। इसके अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं व इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना अंतर्गत आने वाले जनपदों के अध्यक्ष, गैर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा परियोजना के ग्राम तथा क्लस्टर स्तरीय संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इस समिति के सचिव, जिला परियोजना प्रबंधक होते हैं। इस उपसमिति के जिम्मे मॉनीटर करने और मूल्यांकन का महत्वपूर्ण काम होता है। साथ ही जिला स्तरीय मुद्दों और क्षमता बनाने की गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है तथा बजट आवंटित करने के निर्णयों में गांव में हुए काम का अनुमान लगाने की जिम्मेदारी भी होती है।

परियोजना से जुड़े लोगों की क्षमता विकास पर काफी ध्यान दिया जाता है। जिला स्तर पर एक कोरग्रुप विकसित किया जाता है, जिसका काम विभिन्न स्तर पर जुड़े लोगों की क्षमता का विकास करना होता है।

जिला स्तर पर इस परियोजना अंतर्गत जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि इस कार्यक्रम में राशि किसी निर्धारित गतिविधि के लिए न दी जाकर, समहित समूहों की आवश्यकता और मांग के आधार पर बनी उपयोजना के माध्यम से आवंटित की जाती है, अतः यह संभावना है कि कई प्रकार की गतिविधियों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हों। जिला एवं विकासखण्ड की क्लस्टर इकाई को मल्टीसेक्टोरल बनाने की कोशिश की गई है किन्तु इसके बावजूद जिला स्तर के विभिन्न विभागों और गतिविधियों से

समन्वय तथा संयोजन किया जाना आवश्यक होता है। यह जवाबदारी जिला कलेक्टर की होती है।

जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं जिला परियोजना इकाई की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति होती है। समिति में जिला पंचायत को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जिला परियोजना प्रबंधक, वित्त प्रबंधक (डी.पी.आई.पी.) शामिल होते हैं। समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होती है। बैठक में परियोजना के मैदानी अमले सहित संबंधित अशासकीय स्वयं–सेवी संगठन के पदाधिकारी भाग लेते हैं। इस समिति के माध्यम से अंतर्विभागीय समन्वय भी सुनिश्चित किया जाता है और क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर किया जाता है।

4.10.3 ग्राम स्तरीय

परियोजना का केन्द्र बिन्दु है **समहित समूह**। यह समूह गांव के समान हितों वाले ऐसे साधनहीन लोगों से बनता है जो किसी समान उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए एकजुट होते हैं। प्रस्ताव के रूप में परियोजना से राशि प्राप्त करने के लिए **समहित समूह** द्वारा बनाई गई उप–योजना का क्रियान्वयन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। **समहित समूहों** को गठित करने जिसमें महिलाओं के **समहित समूह** गठित करने को प्राथमिकता दी जाती है, **सहयोग दल** द्वारा विशेष प्रयास किये जाते हैं। सहयोग दल का कार्यक्षेत्र औसतन 25 से 35 गांवों का रहता है।

गांव के स्तर पर परियोजना के बारे में निर्णय करने और क्रियान्वयन करने का काम ग्रामसभा का होता है। ग्रामसभा, **ग्राम योजना** की समीक्षा करती है और उसे मंजूरी देती है। तत्पश्चात् उप–योजना प्रस्ताव **जिला सहयोग इकाई** को राशि आवंटन के लिए भेजे जाते हैं। जिला सहयोग इकाई द्वारा राशि सीधे समहित समूह के बैंक खाते में भेजी जाती है। प्रति वर्ष अप्रैल माह में ग्राम सभा के समक्ष संबंधित की उपस्थिति में लेखा–जोखा प्रस्तुत किया जाता है।

4.11 समहित समूह का प्रारंभिक चरण : संबंध स्थापित करना

जब तक परियोजना की ऐसी पहचान नहीं बन जाती कि वह पहले के सरकारी विकास कार्यक्रमों से कुछ अलग है, तब तक गांव के लोग, बाहरी लोगों और सरकारी

अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति, अपने पूर्वाग्रह के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। परियोजना के शुरूआती दौर में ग्रामवासियों के साथ संवाद बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

ग्रामवासी, खासकर गरीब लोग, विकास कार्यक्रमों के बारे में और इस सिलसिले में बाहर से गांव में आने वाले लोगों के बारे मे कुछ पूर्वाग्रह रखते हैं। इस पूर्वाग्रह को खत्म करना और इसे गलत सिद्ध करना आवश्यक होता है। गांव के लोगों के पूर्वाग्रह और उनके परिणाम इस प्रकार हैंः

(क) लोग समझते हैं कि, सहायता के लिए गतिविधियां हर योजना में पहले से तय होती है और इसी के अनुसार, लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी योजना का उद्देश्य क्या है और फिर वे उसी के अनुसार अपनी मांग रखते हैं। वे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता के अनुसार नहीं रखते बल्कि यह पता लगाते हैं कि क्या हाथ लग सकता है। परियोजना के द्वारा जो कुछ मिल सकता है वे उसी को अपनी जरूरत बताने लगते हैं।

(ख) यह समझ बन चुकी है कि बाहरी लोग शुरू में योजना लागू करने आते हैं और फिर जिले के कार्यालयों में बैठकर योजना का क्रियान्वय करते हैं। परिणाम यह होता है कि गांव के तेजतर्रार या सम्पन्न लोग इन बाहरी लोगों की सहायता करके उनसे जल्दी सम्पर्क कायम कर लेते हैं। इसके बाद, वे योजना की प्रगति के बारे में अधिकारियों को उनके कार्यालयों में जानकारी देते रहते है क्योंकि उन्हें पता है कि ये अधिकारी सच्चाई जानने के लिए फिर से गांव नहीं आयेंगे और यदि आयेंगे भी तो महज औपचारिकता निभाने। परिणामस्वरूप जो ज्यादा गरीब और जरूरतमन्द हैं वे तो पीछे छूट जाएंगे और अंततः गांव के प्रभावशाली लोग गांव की बैठकों में अपनी बात मनवा लेगें।

(ग) एक पूर्वाग्रह यह भी है कि बाहरी लोगों के लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं और वे सिर्फ उन्हें जल्दी से जल्दी हासिल करने में रुचि रखते हैं जिसके कारण गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं रहता।

ऐसी कई घिसी-पिटी और अर्द्धसत्य बातें हैं जिसका सामना परियोजनाकर्मियों को करना पड़ सकता है तथा इस स्थिति को दूर करने के लिए वे योजनाबद्ध तरीके से कार्य और व्यवहार करते हुए परियोजना के उद्देश्यों तथा शुरूआती कार्यों की पूर्ति कर सकते हैं। यह एक सार्थक अनुभव होगा।

परियोजना के कर्मचारी गांव में प्रवेश करने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं जैसे गांव के मौलिक आंकड़ों का संग्रहण और गांव के निवासियों तथा वहां कार्यरत अन्य विभागों के कर्मचारियों/संस्थाओं से विस्तृत चर्चा आदि। इससे उनका गांव का भ्रमण ज्यादा कारगर होगा। परियोजना कर्मचारियों को यह हिदायत होती है कि वे गांव के ज्यादा गरीब लोगों से मिलें। यह जरूरी है कि सहयोग दल के सदस्य गांव में रात को रुके जिससे संवाद बने और गांव की बेहतर समझ विकसित हो।

4.12 संवाद

यह महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग माध्यमों से गांव वालों को जो संदेश दिये जा रहे हैं उनमें एकरूपता हो। सबसे महत्वपूर्ण है परियोजना के कर्मचारियों, खासकर सहयोग दल के सदस्यों का व्यवहार एवं रवैया। गांव के लोगों को परियोजना के बारे में निम्न बातें साफ-साफ बताई जानी चाहिए।

1. परियोजना का लक्ष्य विशेष रूप से गांव के वे लोग हैं जो साधनहीन हैं जैसे गरीब और महिलायें।

2. परियोजना की पांच साल की अवधि के दौरान हर साल कुछ राशि मिलना संभव है, जिसका आधार यह होगा कि गरीबी किस सीमा तक है यानि गरीबों की संख्या क्या है और लोग किस हद तक साधनहीन हैं। परियोजना अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव को दी जाने वाली राशि आबादी के आधार पर निर्धारित होती है।

3. योजना में कोई निश्चित गतिविधि नहीं है, किन्तु ऐसी उप-योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे समहित समूहों की आर्थिक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़े। गरीबों और महिलाओं द्वारा बनाई गई उप-योजनाएं गांव के कुल आवंटन के 70 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए। बाकी आवंटन ऐसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे संबंधी उप-योजनाओं के लिए काम में लाया जा सकता है जो पूरे गांव के लिए उपयोगी हो।

4. जिन लोगों को उप-योजनाओं से लाभ होना है उन्हें न्यूनतम 15 प्रतिशत सहयोग राशि देनी होगी। यह सहयोग ज्यादा भी हो सकता है और यह उपयोजना के प्रकार पर निर्भर करेगा। गांव को चाहिए कि वह परियोजना में लगाई जाने वाले राशि का उपयोग आन्तरिक स्रोतों से याने सहयोग राशि में

बढ़ोतरी करके, और बाहरी स्रोतों से याने बैंकों आदि से राशि एकत्र करके करे। परियोजना खत्म होने पर गांव में विकास के काम जारी रहें इसके लिए गांव में उपयोग शुल्क या योगदान राशि के द्वारा अपना कोष को बढ़ाया जाना चाहिए।

5. उप–योजनाओं की स्वीकृति ग्राम सभा देती है। वह उप–योजनाओं को एकत्र करके ग्राम योजना बनाती और स्वीकृत करती है।

6. गांव में किए गए कार्यों का स्तर एवं प्रभाव के आधार पर परियोजना द्वारा गांव को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

   उपरोक्तानुसार उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है –

   निर्णय प्रजातांत्रिक ढंग से लिये गये हो।

   उप–योजनाओं के लिए सही समूह का चयन और जरूरतमंद लोंगो की सही पहचान की गई हो।

   उपयोजनाओं की मांग समूह द्वारा ही की गई हो।

   योगदान राशि में सभी की समान भागीदारी हो, न कि दूसरों की एवज में कुछ लोग ही भागीदार हों,

   हिसाब किताब ठीक से रखा गया हो, उपयोजना के कामकाज में किफायत, कर्मठता, ईमानदारी और पारदर्शिता हो।

7. समहित समूहों द्वारा प्रस्तुत उप–योजना की ग्राम सभा द्वारा सही परख और राशि के उपयोग पर उचित देखरेख की गई हो।

उपर्युक्त मापदण्ड पर खरे उतरने वाले समहित समूहों को **समग्र समूह** कहा जाता है एवं परियोजना द्वारा इन समूहों को प्रोत्साहित किया जाता है एवं उन सहयोग दलों को भी प्रोत्साहित किया जाता है जिनके अधिक से अधिक समहित समूहों को समग्र समूह की श्रेणी में लाया जा सके।

जिन गांव में अच्छा काम नहीं होगा उन्हें परियोजना की सहायता मिलना बंद हो जाएगी अथवा कम हो जाएगी एवं उसी प्रकार जिन गांव में अच्छा काम होगा उनके अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु परियोजना की सहायता राशि बढ़ा दी जाएगी।

4.13 लक्षित लोगों का चयन

परियोजना का लक्ष्य गरीब लोग विशेष रूप से महिलायें और साधनहीन लोग हैं। गरीबी और पिछड़ेपन के आधार पर ही चयनित जिलों में पिछड़े विकासखंड और गांव चुने गए हैं। सहयोग दल, गांव में साधनहीन वर्गों और समूहों की पहचान करने का काम करते हैं। साधनहीन वर्गो को चुनने के मापदण्ड निम्नानुसार हैः–

1. आर्थिक स्थिति की वरीयता के क्रम में नीचे के 70 प्रतिशत गरीब परिवार।
2. अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवार।
3. मजदूरी के लिए पलायन करने वाले परिवार।
4. ऐसे परिवार जिनके पास कोई स्थायी मकान नहीं है और हर वर्ष मरम्मत करनी पड़ती है।
5. महिलायें और ऐसे सभी परिवार जिनकी मुखिया महिला हों।
6. सभी भूमिहीन और सीमान्त किसानों के परिवार।

''गरीबी के अनुसार वरीयता'' ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव के सभी लोग मिलकर परिवारों को गरीबी के क्रम में रखकर गरीबी क्रम सूची बनाएंगे। यह सूची गांव के न्यूनतम तीन विभिन्न समूहों द्वारा जो अलग–अलग आर्थिक और सामाजिक समूहों में से हैं, बनाते हैं। ऐसी सूची बनाने के लिए और भी तरीकों का उपयोग हो सकता है – जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न परिवारों के बीच वितरण, पी.आर.ए. इत्यादि। इस सूची के आधार पर गांव में नीचे के 70 प्रतिशत गरीब परिवारों का चयन किया जाता है। इस प्रकार बनी वरीयता सूची को सहयोग दल ग्राम सभा से अनुमोदित करवाते हैं। वरीयता सूची के साथ–साथ परिवार सूची बनाकर उसका भी अनुमोदन सहयोग दल द्वारा ग्राम सभा से करवाया जाता है। परिवार सूची एवं गरीबों की वरीयता श्रेणी की सूची की जानकारी जिला इकाई को दी जाती है।

4.14 शुरूआती काम और लोगों को जागरूक करना

शुरूआती काम, ऐसे शुरूआती कदम हैं जो गांव में परियोजना और ग्राम समुदाय के बीच संवाद कायम करते हैं और साथ ही गांव के लोगों को सामूहिक हित के काम करने के लिए आपस में जोड़ते हैं। इनसे परियोजना के लिए गांव में उत्साह

पैदा होता है और परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौका मिलता है कि वे लोगों के दिमाग से उन पूर्वाग्रहों को खत्म कर दें जो आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों के बारे में होती हैं।

शुरूआती काम की जरूरत परियोजना के प्रारम्भिक दौर में होती है, जबकि समुदाय को परियोजना के बारे में पता नहीं होता और परियोजना को अपनी विश्वसनीयता कायम करना होती है। परियोजना की विश्वसनीयता कायम होने के बाद लोग परियोजना की छवि देखकर खुद ही खिंचे चले आते हैं। जिन गांवों में सहयोग, सामुदायिक जनजुड़ाव एवं सामुदायिक निर्णय की स्पष्टता हो तथा जहां सहयोग दल के आरंभिक ग्राम सम्पर्कों के दौरान ही समुदाय में परियोजना की विश्वसनीयता जम जाए एवं परियोजना की भावना, मूल उद्देश्यों के बारे में समुदाय में स्पष्टता हो, वहां शुरूआती कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। इन ग्रामों में समहित समूह के गठन के बाद उपयोजना प्रस्ताव अनुसार गतिविधियां समहित समूह द्वारा क्रियान्वयन हेतु ली जा सकती है। शुरूआती काम के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियां ऐसी होती हैं जिससे वे ग्रामीणों को मिलजुलकर काम करने के लिए उत्साह व प्रेरणा मिलती है। शुरूआती काम के दौरान लोग आपस में करीब आते हैं। शुरूआती काम का जोर इस बात पर रहता है कि समुदाय से ज्यादा से ज्यादा योगदान मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। यदि ऐसी गतिविधि हाथ में ली जाए, जिससे सभी को फायदा हो तो समुदाय योगदान करने के लिए ज्यादा प्रेरित होगा। समुदाय के योगदान से इस बात का पता चलेगा कि वह गतिविधि ग्रामीणों के लिए कितने काम की थी।

परियोजना का विशेष आग्रह होता है कि शुरूआती काम का केन्द्र बिन्दु महिलायें हों। यह बात महत्वपूर्ण है कि परियोजना शुरू से ही महिलाओं के साथ काम करे। परियोजना के बाद के चरण में महिलाओं को जोड़ना कठिन होगा। इस प्रकार से कार्य करने से परियोजना की सकारात्मक छवि बनेगी।

शुरूआती कार्यों एवं उपयोजना अंतर्गत ली जाने वाले गतिविधियों में विशेष अंतर नहीं है। मुख्य अंतर निम्न हैः–

1. शुरूआती कार्यों हेतु राशि सहयोग दल को प्राप्त होगी एवं उपयोजना हेतु राशि सीधे समहित समूह के बैंक खातों में प्राप्त होती है। शुरूआती कार्यों का क्रियान्वयन सहयोग दल के माध्यम से हो सकता है। परन्तु उपयोजना का क्रियान्वयन समहित समूह द्वारा ही किया जाएगा एवं सहयोग दल की भूमिका

सहयोगात्मक रहेगी। उपयोजना हेतु न्यूनतम 15 प्रतिशत योगदान निर्धारित है। शुरूआती कार्यों हेतु 10 प्रतिशत योगदान वांछनीय है। यह योगदान गतिविधि की लागत में ही सम्मिलित किया जावे।

यदि 10 प्रतिशत से अधिक योगदान प्राप्त होता है तो वह गतिविधि की महत्ता एवं सामाजिक जुड़ाव हेतु अत्यंत लाभदायी है। साथ ही साथ यह गतिविधि पर जनसमुदाय के स्वामित्व की भावना को मजबूत करेगा एवं अधिक योगदान से गतिविधि के स्थायित्व एवं निरंतरता की संभावना अधिक रहती है। योगदान जुटाने हेतु प्रारंभ से ही प्रयास किया जाता है। निर्धारित योगदान से अधिक योगदान सहयोग दल, ग्राम एवं परियोजना की सफलता का भी पैमाना है।

2. उपयोजना प्रस्ताव हेतु समहित समूह का गठन होना आवश्यक है। शुरूआती कार्यों हेतु समूहित समूह का होना आवश्यक नहीं है। किन्तु शुरूआती कार्यों का स्वरूप ऐसा रखा जाता है जिससे समहित समूहों के गठन की शुरूआत उस गांव में हो जावे।

परन्तु यदि समुदाय द्वारा सीएसआर में दर्शाए गए दरों से कम दर पर अच्छी गुणवत्ता का काम किया जाता है तो इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर भी प्रत्येक स्तर पर समुचित ध्यान दिया जाता है ताकि स्थानीय तकनीकी, कौशल, अनुभव एवं जानकारी को प्राथमिकता मिले।

गांव में प्रवेश के समय वातावरण निर्माण की आवश्यकता हो सकती है। यह वातावरण निर्माण परियोजना लाँच, वीडियो फिल्म के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, या अन्य कोई ऐसी गतिविधियां जिससे परियोजना के उद्देश्यों की जनसमुदाय को जानकारी मिलने के साथ-साथ उस गांव की मूलभूत जानकारी प्राप्त होती है, द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शुरूआती कार्य हेतु निर्धारित राशि में से रू. 5,000/- तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इस राशि का उपयोग समन्वयक, सहयोग दल के स्वविवेक पर निर्भर करता है जिससे राशि के उपयोग में लचीलापन तथा समन्वयक सहयोग दल द्वारा नए प्रयोग एवं नए विचारों का समावेश अंतर्निहित है।

संकुल या क्लस्टर के भीतर प्राथमिकता पर गांवों का चुनाव – जिस गांव में सफलता मिलने की संभावना अधिक है अर्थात् जिस गांव के लोग मिलजुलकर और योगदान देकर किसी सामुदायिक उपयोगिता का काम (जैसे शराबबन्दी करने या कुरूतियां खत्म करने का काम) या किसी सामुदायिक गतिविधि (जैसे सामूहिक भूमि की सुरक्षा) हाथ में लेने के लिए तैयार हों या हाथ में ले चुके हो, उस गांव में परियोजना की गतिविधि पहले शुरू की जाती है। चूंकि एक क्लस्टर में 25–30 गांव चयनित होंगे तो यह संभव नहीं होगा कि सभी गांव में पहले वर्ष ही कार्य प्रारंभ किया जा सके। उपर्युक्त आधार पर प्राथमिकता अनुसार गांव का चयन किया जा सकता है।

जिन गतिविधियों से गांव में मतभेद पैदा होने वाले हों वे हाथ में नहीं लिए जाने चाहिए, चाहे वे कुछ लोगों के लिए लाभदायक ही क्यों न हों, उनसे परहेज किया जाता है। इसके अलावा जिन गतिविधियों से किसी खास व्यक्ति को फायदा होता हो उन्हें भी वर्जित किया जाता है।

4.15 शुरूआती काम की नकारात्मक सूची

शुरूआती काम में नीचे लिखी गतिविधियों की पूर्णतः मनाही है :–

1. जमीन खरीदने के लिए राशि प्राप्त करना
2. तम्बाकू उगाना और उससे संबंधित गतिविधियां
3. वह गतिविधि जिसमें जबरन विस्थापन या पुनर्स्थापन होता है
4. धार्मिक स्थलों का निर्माण या मरम्मत
5. व्यक्तिगत लाभ देना।
6. स्वागत द्वार का निर्माण।

4.16 शुरूआती काम के प्रमुख संकेतक

1. परियोजना के संबंध में अधिक से अधिक स्पष्ट जानकारी ग्रामों के लक्षित परिवारों को मिले।

2. जन सहयोग पद्धति कार्यवाहियों के जरिये गांव में संवाद स्थापित करना, गांव के संसाधनों का और लोगों के आपसी रिश्तों का नक्शा तैयार करना और जरूरतों तथा समस्याओं की समझ बनाना।

3. दीवार पर परियोजना संबंधी मुख्य सिद्धांत लिखना।

4. गरीबों, महिलाओं और साधनहीन लोगों के समूहों की स्पष्ट पहचान बनना।

5. ऐसी संभावित गतिविधियों की पहचान करना जिन्हें समहित समूह हाथ में ले।

6. ऐसा चलन बनाना कि बैठकें नियमित हों और उनमें पर्याप्त उपस्थिति हो, समूह/गांव की बैठकों में निर्णय लिये जाएं और लोगों को उत्साहित करें कि वे खुलकर बोलें, न कि बाद में या बैठक के बाहर।

7. समुदाय को परियोजना की मुख्य प्रक्रियाओं जैसे किफायत, पारदर्शिता की जानकारी मिले एवं लोगों में परियोजना की विश्वसनीयता कायम हो।

8. गांव के एक या दो ऐसे लोगों की क्षमता बढ़ाना जो साधारण ढंग से हिसाब–किताब और कागजात रख सकें।

9. गांवों की प्राथमिकता तय करना।

यह ध्यान रखा जाता है कि शुरूआती काम में प्रति गांव सामान्यतः 50 हजार रुपयों से अधिक खर्च नहीं किया जावे तथा यह गतिविधि व समुदाय द्वारा दिए गए योगदान पर भी आधारित हो।

4.17 समहित समूह

परियोजना का उद्देश्य समहित समूहों के रूप में ऐसी जानदार, जिम्मेवार व जबावदार स्थानीय संस्थाओं का गठन करना है जो परियोजना की अवधि खत्म होने के बाद भी चलती रहे। ये संस्थाएं ऐसी हों कि वे गांवों को गरीबी और पिछड़ेपन से उबार सकें। परियोजना साधनहीन लोगों की संस्थाओं के हाथ में निवेश की राशि सौंपकर इस मकसद को हासिल करेगी। साधनहीन लोगों द्वारा समान हित के लिए बनाए गए समहित समूह प्रजातंत्र की तथा अधिकारों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बुनियाद बनेंगे।

समूहों द्वारा अपनाई गई आर्थिक गतिविधियाँ (उपयोजनाएं) भी लोगों को अपनी गरीबी दूर करने के लिए मिलजुलकर काम करने के अवसर देती है। पांच साल साथ में काम करने के दौरान समहित समूह के सदस्य मिलजुलकर योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने, क्रियान्वयन करने और देखरेख करना, जिम्मेदारी बांटना, आपसी झगड़ों को निपटाना और बाहरी माहौल से निपटना सीख लेंगे। मिलजुलकर काम करने से गरीबों और साधनहीन लोगों का सशक्तिकरण होता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया कुछ

ऐसी हो कि लोग पहले अपने आसपास के माहौल में अपनी बात कह सकें, यदि वे बाजार जाएं तो वे अपने उत्पाद को उचित दाम पर विक्रय कर सकें व बेहतर उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन जिसमें वित्तीय और तकनीकी संसाधन भी शामिल हैं, की मांग सरकार से कर सके। समूहों को इस दिशा में ले जाने के लिए सहयोग दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

4.18 समहित समूह का गठन

साधनहीन लोग अपनी समस्याओं का मिलकर मुकाबला करने के लिए समहित समूह बनाएंगे। ये नए समूह हो सकते हैं या पहले से बने समूह भी हो सकते हैं (जैसे वाटरशेड के समूह या स्वयं सहायता समूह)। जो समूह पहले से ही हैं उन्हें ग्रामसभा द्वारा समहित समूह के रूप में स्वीकृत किया जाना होगा किन्तु सहयोग दल समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन समूहों में परियोजना के मूल सिद्धांतों की पूर्णतः समझ हो व उनके द्वारा उन सिद्धांतों को अपनाया भी गया हो। ऐसे समूह ग्रामसभा की स्वीकृति लेकर परियोजना के कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। गांव में प्रवेश करने के 3 माह के भीतर समहित समूह का निर्माण करना संभव है। पहले महिलाओं के समहित समूह बनाए जाने पर विशेष जोर दिया जाता है। महिलाओं के समूहों को प्राथमिकता देने से वे ग्राम उत्थान समिति में अपना स्थान बना सकेंगी और उसमें भाग ले सकेंगी। कोशिश यह होना चाहिए कि आधे समहित समूह महिलाओं के ही हों। जनजाति वाले इलाकों में जनजाति के लोगों से बने समहित समूह को प्राथमिकता दी जाती है। यह संभव है कि एक परिवार के सदस्य एक से ज्यादा समहित समूह में हो। पर यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एक परिवार कई समहित समूह में रहकर अनुपात से ज्यादा फायदा न उठाए।

परियोजना सहयोग दल से अपेक्षित है कि वह अपने क्लस्टर के गांवों के बैंक कर्जदार की सूची प्राप्त कर लें और यदि ऐसे लोगों को समहित समूहों में शामिल करना आवश्यक हो, और समहित समूह के सदस्य ऐसा चाह रहे हों तो इनको समहित समूह में शामिल किया जा सकता है। किन्तु पूरे समूह को कर्जदारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा आवश्यक दबाव डालना होगा कि वह अपना बैंक का कर्जा चुका दें। समन्वयक सहयोग दल को यह निश्चित करना आवश्यक होगा कि यदि समहित समूह में डिफॉल्टर को शामिल किया गया है तो वह इरादतन चूककर्ता या Willful defaulter न हों।

जो सदस्य समहित समूह बनाते हैं उन्हें यह संकल्प लेना होता है कि उन्होंने प्रजातांत्रिक तरीके से आपस में चर्चा करके समहित समूह के रूप में परियोजना के तहत पंजीबद्ध होने का निर्णय लिया है। वे निम्न बातों पर सहमत होंगेः–

1. कि वे समहित समूह के सभी कामों के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत, दोनों तरह से जिम्मेदार होंगे और इसमें वित्तीय दायित्व भी शामिल होंगे।

2. कि जिस अनुपात में उन्होंने योगदान दिया है उसी अनुपात में वे सभी सदस्यों के साथ मिलकर लाभ का बंटवारा करेंगे।

3. कि वे समुचित लेखा–जोखा और रिपोर्ट रखेंगे और उसको सदस्यों और जनता को दिखाएंगे।

4. कि सार्वजनिक ऑडिट के दौरान यदि उनके काम में कुछ कमी पाई गई तो भविष्य में उन्हें सहायता नहीं मिलेगी।

4.19 समहित समूह का आकार

अलग–अलग परिवारों के कम से कम पांच लोग यदि एक ही प्रकार की गतिविधि करना चाहते हैं तो वे समहित समूह बना सकते हैं। समहित समूह गठित करते समय सहयोग दल के सदस्यों को यह मार्गदर्शी सिद्धांत ध्यान में रखना होगा कि समूह के सदस्यों ने एक–दूसरे का चुनाव किया है न कि सहयोग दल के द्वारा सदस्यों का चयन किया गया हैं तथा किसी समहित समूह में केवल निकट रिश्तेदार ही सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि किसी ऐसी गतिविधि जिसमें पूरे गांव को फायदा पहुंचता है – जैसे कि तालाब का निर्माण– तो गांव/टोले के सभी लोग सदस्य हो सकते हैं। इस तरह की गतिविधि को पूरा करने के लिए उनके द्वारा एक कार्यपालन समिति बनाई जावेगी जो काम की देखरेख करेगी तथा सामान्यतः ऐसे समहित समूह अस्थायी होंगे और उतने समय ही रहेंगे जितने समय में गतिविधि पूरी होगी।

4.20 समहित समूह का पंजीकरण

सहायता पाने के पहले समहित समूह को परियोजना में पंजीकृत होना पड़ेगा। पंजीकरण का मकसद यह है कि समहित समूह की पहचान बने और वह औपचारिक रूप ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परियोजना से फायदा पाने के लिए कुछ लोग अस्थायी व्यवस्था कर लें। दूसरा मकसद यह है कि पंजीकरण से जवाबदेही तय होती है

और यदि समहित समूह धन का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। पंजीकरण कराना बहुत आसान है। समहित समूह को एक पंजीकरण फार्म भरना होगा। समन्वयक सहयोग दल, समहित समूह का पंजीकरण कर उसे एक विशिष्ट कोड प्रदान करेगा तथा पंजीकरण की सूचना जिला सहयोग इकाई के कार्यालय भेज देगा।

पंजीकरण फार्म में साफ तौर से यह बताया जाना चाहिए कि समहित समूह बनाने का मकसद क्या है, वह कितने समय तक रहेगा, उसके सदस्य और पदाधिकारी कौन हैं और बैंक से पैसा किन सदस्यों के हस्ताक्षरों से निकलेगा।

पंजीकरण कोड – जनगणना द्वारा मध्यप्रदेश के प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट 8 अंक वाला कोड दिया गया है जिसके अंतिम दो अंक 00 हैं। गांव का जनगणना कोड ही इस परियोजना अंतर्गत अपनाया जावेगा एवं इसके अतिरिक्त पंजीकृत समहित समूह के संबंध में विशिष्ट जानकारी भी कोड के जरिए ली जावेगी।

समहित समूह के प्रकार

A	सामान्य (महिला एवं पुरूष मिश्रित)	J	अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष)
B	अन्य पिछड़ा वर्ग (म. एवं पु. मिश्रित)	K	अनुसूचित जनजाति (पुरूष)
C	अनुसूचित जनजाति (म. एवं पु. मिश्रित)	L	अनुसूचित जाति (पुरूष)
D	अनुसूचित जाति (म. एवं पु. मिश्रित)	M	मिश्रित वर्ग (पुरूष)
E	सामान्य (महिला)	N	पढ़ना बढ़ना समूह
F	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	O	एस.जी.एस.वाई. समूह
G	अनुसूचित जनजाति (महिला)	P	महिला बचत एवं साख समूह
H	अनुसूचित जाति (महिला)	Q	वाटरशेड के समूह
		R	जे.एफ.एम. एवं अन्य वानिकी संबंधित समूह
I	सामान्य (पुरूष)	W	मिश्रित वर्ग (महिला)
		Z	संपूर्ण अथवा अधिकांशतः गांव की आबादी का समूह

उपरोक्तानुसार समूह के प्रकार को सुनिश्चित करने के लिए यह देखा जाए कि समूह के अधिकांश सदस्य उस श्रेणी के हों।

4.21 उपयोजना अंतर्गत गतिविधि के प्रकार

1 सामाजिक स्थिति से जुड़े बुनियादी ढांचों की गतिविधियां
2 आर्थिक स्थिति से जुड़े बुनियादी ढांचों की गतिविधियां
3 आमदनी मूलक गतिविधियां
4 ज्ञान बढ़ाने की गतिविधियां
5 सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचों की गतिविधियां
6 नवाचार वाली तकनीकी गतिविधियां

4.22 समहित समूह के पदाधिकारी

समहित समूह के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा बनती है। प्रत्येक समहित समूह का नेतृत्व करने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक सचिव होगा जो दस्तावेज रखेगा। इसके अलावा बैंक के लिए दो हस्ताक्षरकर्ता होंगे जो अध्यक्ष या सचिव में से नहीं होंगे परंतु, चेक और पासबुक सचिव या अध्यक्ष के पास रहेगी।

परियोजना का क्रियान्वयन शासन की मंशा, जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को 'ग्राम स्वराज' के माध्यम से हर गांव तक पहुँचाना, के अनुसार ही है ताकि विकास की गतिविधि में अधिक से अधिक लोग जुड़े तथा निर्णय में साधनहीन व गरीब लोगों की भागीदारी बढ़े। इसके लिए यह आवश्यक है कि गांव के उन लोगों को पदाधिकारी की भूमिका में जोड़ा जाए जो पहले से ही पंचायत राज संस्था आदि के माध्यम से जुड़े नहीं हों।

4.23 समहित समूह की भूमिका और जिम्मेदारियां

4.23.1 साधारण सभा

स्मूह के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा बनेगी। वह अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को चुन या हटा सकेगी। यह सभा निर्णय करने और कामकाज की देखरेख का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। साधारण सभा सभी गतिविधियों और बजट तथा लेखे को मंजूरी देगी। यह देखना सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि बैठक में लिए गए फैसलों पर सही ढंग से अमल हो रहा है और जो लोग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जावे। सभी सदस्यों से अपेक्षित है कि वे खुद भी अपनी जिम्मेदारियां कर्मठता से निभाएं। प्रगति का अवलोकन करने के लिए और खर्च को मंजूरी देने के लिए साधारण सभा की बैठक अनिवार्य है। सदस्यों और साधारण सभा

की जिम्मेदारियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं और इन मुद्दों पर समूह द्वारा आवश्यकतानुसार अपनी नियमावली तैयार की जा सकेगी–

1. बैठक कब बुलाना है – माह में एक बार/दो बार आदि।
2. बैठक में सदस्यों की समय पर उपस्थिति निश्चित करने की प्रक्रिया।
3. हर बैठक का विवरण रजिस्टर में कार्यवाही विवरण लिखना एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करना।
4. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति और विकास की जांच करना।
5. लेखा की जांच करना और स्पष्टीकरण मांगना।
6. व्यय को मंजूरी और बजट मंजूरी प्रक्रिया।
7. समहित समूह के कामकाज से संबंधित मुद्दे उठाना।
8. समहित समूह के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को चुनने और हटाने की प्रक्रिया।
9. विशेष जिम्मेदारियां उठाने के लिए उप–समूह बनाना।
10. विभिन्न सदस्यों और उप–समूहों को जिम्मेदारियां सौपना।
11. व्यक्तिगत रूप से या उप–समूह के सदस्य के रूप में सौंपे गए काम को कर्मठता और ईमानदारी से सम्पन्न करना।
12. निर्णय प्रजातांत्रिक ढंग से लिये जाने की प्रक्रिया।
13. सदस्यों की जिम्मेदारियों और समहित समूह के प्रशासन से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लेना।

4.23.2 अध्यक्ष

समहित समूह का अध्यक्ष समूह का मुखिया होता है। वह ग्राम उत्थान समिति में समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का होता है, जो एक बार बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार कार्यकाल अधिक से अधिक दो साल का हो सकता है। हर अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में अगले व्यक्ति को तैयार करे। यदि सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वे अवधि पूरी होने के

पहले भी मुखिया को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। अध्यक्ष की जिम्मेदारियां निम्न होती हैं–

1. समहित समूह द्वारा बनाए गए नियमानुसार समूह की बैठक आमंत्रित करना।
2. यह देखना कि साधारण सभा में लिए गए निर्णयों पर अमल किया जा रहा है।
3. समूह के सदस्यों को सभी जानकारी और प्रगति के बारे में बताएं जिससे सभी सदस्यों को विभिन्न मोर्चों पर हुए विकास और प्रगति के बारे में पता रहे।
4. बैंक से प्रत्येक राशि निकासी के समय सभी सदस्यों को बैठक बुलाकर जानकारी देना कि कितनी राशि किस कार्य हेतु निकाली जा रही है।
5. यह देखना कि सचिव बैठकों की कार्यवाहीं और लेखे का समुचित विवरण रखता है।
6. यह देखना कि सभी लोग बिना हिचक खुलकर अपनी बात कह सकें और निर्णय एकमत से हों। मुखिया, सदस्यों पर अपना मत कभी न थोपे।
7. सभी सदस्यों की क्षमता का ऐसा विकास करें जिससे कि वे अपनी बारी आने पर समूह का नेतृत्व कर सकें।
8. ग्राम उत्थान समिति में समहित समूह का प्रतिनिधित्व करे।
9. ग्राम उत्थान समिति में हुई चर्चा की जानकारी साधारण सभा को दे।

4.23.3 सचिव

सचिव की मुख्य जिम्मेदारी है समहित समूह के अभिलेखों का रखरखाव। वह समूह की सभी प्रक्रियाओं और राशि के लेनदेन को दर्ज करेगा/करेगी। बैठकों के विवरण ''कार्यवाही पुस्तिका'' में लिखे। चूंकि सचिव की जिम्मेदारियां कुछ खास किस्म की होंगी इसलिए उसे दसवीं तक पढ़ा होना चाहिए। समूह के लिए समय लगाने के बदले सचिव को मानदेय दिया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि सचिव समूह का सदस्य हो। सचिव का कार्यकाल एक साल का होना चाहिए और उसे एक बार बढ़ाया जा सकता

है। उसके बाद का सचिव समूह का सदस्य ही होना चाहिए। सचिव की जिम्मेदारियां निम्न होती हैं –

1. सभी बैठकों की कार्यवाही का, खासकर निर्णयों का विवरण लिखे । ''कार्यवाही पुस्तिका'' में उपस्थिति भी दर्ज होगी और इसके लिए उपस्थित लोगों के नाम के सामने उनके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। हस्ताक्षर बैठक के दौरान लिये जाएंगे, न कि बैठक के बाद।

2. बैठक आमंत्रित करने के लिए अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को याद दिलाना।

3. लेखा पुस्तक में पैसे के लेनदेन का सारा विवरण लिखना।

4. सभी बैठकों में अभिलेख – कार्यवाही का विवरण और लेखा – प्रस्तुत करना।

5. उसे जो भी अनियमितता दिखती है उसे सदस्यों को बताना। ऐसा न करने पर या ऐसी अनियमितता का सहभागी होने पर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और उसे सामान्य सभा द्वारा तय किया गया जुर्माना भी भरना होगा।

6. सदस्यों को लेखा–जोखा रखने और अभिलेख के बारे में सिखाना और यह बताना कि लेखा की देखरेख कैसे की जाती है।

7. समूह में अन्य व्यक्ति तैयार करना जो उसकी समयावधि खत्म होने पर जिम्मेदारी सम्हाल सके।

4.24 बैंक के लिए हस्ताक्षर करने वाले लोग

जिम्मेदारी का विस्तार करने के लिए और समहित समूह के प्रबंध में ज्यादा लोगों को भागीदार बनाने के लिए ''बैंक में हस्ताक्षर करने वाले'' लोग अध्यक्ष और सचिव से भिन्न रखे गए हैं। सचिव हर बैठक में लेखा और भावी मांग प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछली बार निकाली गई राशि के खर्च का हिसाब एवं इस बार जिस कार्य हेतु राशि निकाली जानी है उसके बारे में सदस्यों को जानकारी देगा। भावी मांग एवं व्यय को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के लिए हस्ताक्षर करने वाले लोग बैठक में ही चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। पूरे साल इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एक साल के बाद बैठक में खर्च के बजट को मंजूरी पश्चात् और जब बैंक से राशि निकालने की जरूरत होगी तब हस्ताक्षरकर्ता चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। जब तक कोई खर्च बैठक

द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा और तदनुसार ''कार्यवाही पुस्तिका'' में दर्ज नहीं हो जाएगा तब तक कोई राशि खर्च नहीं की जा सकती।

4.25 समहित समूह के कार्य

बैठक आयोजित करना – साधारण सभा की बैठकें समहित समूह के विकास और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैठक समहित समूह द्वारा बनाए गए नियमानुसार होना चाहिए। यदि कोई ऐसा निर्णय लेना है जिसके लिए बैठक की तय तारीख तक नहीं रूका जा सकता, तो बैठक जल्दी भी बुलायी जा सकती है। बैठक बुलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। बैठक का दिन, स्थान और समय सभी सदस्यों की सुविधा के अनुसार तय होना चाहिए और इसे हर बैठक में या हर माह नहीं बदला जाना चाहिए। यदि सदस्य निर्धारित समयसीमा से ज्यादा विलम्ब से बैठक में आते हैं या बिना किसी सूचना के जानबूझकर गैरहाजिर रहते हैं तो उन्हें समूह द्वारा समझाना होगा एवं उन्हें बैठक में उपस्थिति की उपयोगिता समझानी होगी। सभी सदस्यों को बैठक में ''कार्यवाही पुस्तक'' में हस्ताक्षर करना होंगे। बैठक में जो भी निर्णय/मुद्दे संकल्प के लिए ऊंचे स्तर को भेजे जाने हैं उनका उल्लेख भी अलग से किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को ऊंचे स्तर तक ले जाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी। जो निर्णय लिए गए हैं उनको पूर्ण करने की जबावदारी किसकी है, इसका भी ब्यौरा दिया जाना चाहिए और साथ जो निर्णय क्रियान्वित नहीं हुए उन पर अगली बैठक में चर्चा करनी चाहिए।

निर्णय लेना – सभी महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिये जाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तीन चौथाई सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी। अध्यक्ष और सचिव पहले से तैयारी करेंगे और यह देखेंगे कि निर्णय समय पर लिया जाए, जिससे काम पर असर न पड़े।

क्रियान्वयन – उपयोजना का क्रियान्वयन समहित समूह द्वारा किया जाता है। भुगतान की स्पष्ट सिफारिश होने पर, इस आशय का संकल्प पारित करके समहित समूह राशि का भुगतान करेगी। समहित समूह सभी आवश्यक चीजों की खरीदी करेगी। 20 हजार रूपये से अधिक कीमत वाली वस्तुओं और मशीनों की खरीदी समहित समूह को मिलाकर बनी एक समिति करेगी। परियोजना के शुरू में छोटी राशि के प्रस्तावों को प्रोत्साहन दिया जाता है और इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिन समहित समूहों ने अच्छा काम किया है उन्हें मान्यता एवं पहचान मिले और उनके नए बड़े प्रस्तावों को

प्रोत्साहन दिया जाए। इसे देखकर दूसरे समहित समूह भी अच्छा काम करने हेतु प्रेरित होंगे।

निरीक्षण – उपयोजना की प्रगति के देखरेख करने का काम समहित समूह के सदस्यों का है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे काम की गुणवत्ता तथा किए गए काम की, खासकर मिट्टी के काम और निर्माण आदि की नाप–जोख करें। सहयोग दल की भूमिका उपयोजना के क्रियान्वयन को बढ़ाने की होती है। तकनीकी रूप से जटिल कार्यों के लिए सहयोग दल के तकनीकी कर्मचारी को भेजा जाता है। कार्य की गुणवत्ता, दी गई राशि के सही उपयोग, दिए गए योगदान के आधार पर समन्वयक, सहयोग दल के द्वारा की गई सिफारिश पर ही बैंक समहित समूह को दूसरी किश्त का भुगतान करते हैं। पंचायत को भी इन कार्यों के निरीक्षण का पूरा अधिकार है।

रखरखाव – उपयोजना से निर्मित अथवा क्रय किए गए संसाधनों की उचित देखरेख करने की जबावदारी समहित समूह की है। उपयोजना स्वीकृत करने के समय भी देखरेख की योजना को बारीकी से देखा जाता है। यह अपेक्षा की गई है कि समहित समूह अपने सदस्यों पर उपयोगकर्ता शुल्क, क्षरण शुल्क, सदस्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज लगाकर, आय अर्जक गतिविधियों वाले समहित समूहों को इस बात के प्रयास करना चाहिए कि वे अपनी आय के कुछ अंश को नियमित रूप से बैंक में जमा करें। इस जमा राशि से वे ली गई गतिविधियों को निरंतर चलाये रखेंगे एवं परिसम्पत्तियों/ संसाधनों में बढ़ोतरी कर सकेगे। या अन्य तरीकों से रखरखाव तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए राशि जमा करेगा।

बैंक खाता – समहित समूह का खाता राष्ट्रीयकृत /सूचीबद्ध/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में होता है। परियोजना से प्राप्त राशि, सदस्यों से प्राप्त योगदान व रखरखाव के लिए एकत्रित राशि इस खाते में जमा की जाती है। इसका उपयोग समूह द्वारा उपयोजना के सामान्य लेनदेन को चलाने के लिए किया जावेगा। यह खाता समहित समूह के नाम से खोला जाता है तथा 2 बैंक हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है।

लेखा – सभी वित्तीय लेनदेन परियोजना के निर्देशानुसार नगद/बैंक किताब में दर्ज करना अनिवार्य है। सचिव को लेखा रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब तक सचिव प्रशिक्षित नहीं होता तब तक सहयोग दल समूह के लेखा लिखने में सहयोग देगा।

अन्य कार्य – समूह द्वारा व्हाउचर फाइल व निविदा फाइल भी रखी जावेगी। लेखा के अभिलेख उपयोजना क्रियान्वयन के 6 साल है बाद तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है। उपयोजना प्रस्ताव में लेखा एवं ऑडिट हेतु राशि समाहित की गई है तथा यह अपेक्षा है कि उपयोजना के क्रियान्वयन के पश्चात समूह अपने लेखा अभिलेखों को अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से ऑडिट करवायेंगे।

4.26 अतिरिक्त नियम

1. किसी एक पार्टी को पांच हजार रुपयों से ज्यादा के सभी भुगतान चेक द्वारा किये जाएंगे।

2. मजदूरी के लिए भुगतान हर सप्ताह एक निश्चित दिन खुले तौर पर सबके सामने किये जाएंगे। महिलाओं एवं पुरूषों को एक ही प्रकार के काम के लिए एक ही दर से मजदूरी दी जायेगी।

3. बीस हजार रुपयों से ज्यादा की एक खरीद के लिए एक क्रय समिति विभिन्न सप्लायर्स से बात करके और उनके कोटेशनों की तुलना करके कीमतों का मूल्यांकन कर क्रय करेगी। कोटेशन का प्रारूप परिशिष्ट 4 में दिया गया है।

4. लेखे का विवरण एक सादे प्रपत्र में लिखकर गांव के किसी सार्वजनिक स्थल में प्रदर्शित किया जाएगा। इस विवरण में प्राप्तियां, व्यय, बाकी और योगदान दिखाया जाएगा।

5. जब भी परियोजना को जरूरत होगी, सभी अभिलेख जांच के लिए परियोजना को उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.27 मॉनिटर करना, सीखना और समूह विकास

समहित समूह अपनी प्रगति समझने और स्व–मूल्यांकन करने के लिए अपने खुद के पैमाने तय करते हैं। ऐसे समहित समूह जिनमें सदस्यों की संख्या अधिक हो, में एक आन्तरिक समिति होती है, जो काम की प्रगति देखती है और उसकी रिपोर्ट साधारण सभा को देती है। परियोजना में आपसी सीखने के मौकों का बढ़ावा दिया जाता है और इसी संदर्भ में समहित समूह दूसरे समूहों के कार्य देखने जाते हैं जिससे वे उनकी सफलता अथवा गलतियों से सीखें। दूसरे अच्छा काम कर रहे समहित

समूहों और बाहर की परियोजनाओं का अवलोकन करने के लिए उनका भ्रमण भी समूह द्वारा किया जा सकता है।

4.28 परियोजना से सहायता पाने के लिए शर्तें

समहित समूह द्वारा परियोजना से सहायता पाने के लिए निम्न शर्तें होती हैं–

1. समूह का पंजीकरण होना
2. लेखा लिखने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो
3. बैंक में समहित समूह का खाता खोलना
4. अपनाकोष एवं उपयोजना में योगदान की सहमति
5. उपयोजना से समहित समूह के सभी सदस्यों को लाभ होना। महिला/ पुरूषों को समान लाभ पहुंचना।
6. उपयोजना का पर्यावरण पर प्रभाव का आंकलन
7. उपयोजना अंतर्गत हुए निर्माण/बनाए गए संसाधन की कार्य समाप्ति के बाद देखरेख की व्यवस्था

4.29 ग्राम सभा, ग्राम उत्थान समिति एवं समहित समूह

4.29.1 ग्राम सभा

ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क सदस्य होते हैं। म.प्र. पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 के नियम 5–क के अंतर्गत अब प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी। गांव के समग्र विकास में लोगों को भागीदारी बनाने और उसमें लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है। हालांकि परियोजना का मुख्य लक्ष्य साधनहीन वर्ग है, पर ऐसी आशा की जाती है कि सार्वजनिक गतिविधियों के लिए और हर समहित समूह की योजना का **गांव की योजना** में एकीकरण करने से पूरे गांव को लाभ होगा। जरूरत पड़ने पर गांव की योजना दूसरी योजनाओं अैार कार्यक्रमों से संसाधन लेगी। इससे गांव के योगदान को प्रोत्साहन मिलेगा।

ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह होगी कि वह **गांव की योजना** को मंजूरी दे। यह सोचा गया है कि प्रभावी ढ़ंग से गांव की योजना बनने में 1–2 वर्ष का समय लग सकता है तथा इस अवधि में ग्राम सभा द्वारा गांव में गठित हो रहे

अलग–अलग समहित समूहों द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत उपयोजना प्रस्तावों का प्रशासकीय अनुमोदन दे।

4.29.2 ग्राम उत्थान समिति

परियोजना में चयनित गांव में ग्राम उत्थान समिति के गठन का प्रयास किया जाता है। इसका गठन म.प्र. पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2001, के नियम 7 (क) 2 के अंतर्गत तदर्थ समिति के रूप में होता है। यह समिति ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। उस गांव के समस्त समहित समूह के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते है और उस गांव के पंचायत सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं। साधनहीनों की पिछड़ी स्थिति की भरपाई करने के लिए ग्राम उत्थान समिति में उनके द्वारा चुने हुए समहित समूह के प्रतिनिधियों की स्वयंमेव (आटोमेटिक) सदस्यता के जरिये साधनहीनों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। ग्राम उत्थान समिति का गठन गांव में कम से कम तीन समहित समूह के गठन के बाद होता है। इसके क्षमतावर्द्धन हेतु परियोजना में प्रावधान किए गए हैं ताकि यह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित कर सके।

4.29.2.1 ग्राम उत्थान समिति का उद्देश्य

ग्राम उत्थान समिति, समहित समूह को गांव और पंचायत से जोड़ती है। ग्राम उत्थान समिति गांव के विकास कार्यों पर ध्यान देकर उनका एकीकरण कर सकती है। परियोजना के संसाधनों तक उसकी पहुंच होने के कारण वह गांव के विकास में और गरीबी तथा पिछड़ेपन को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। समहित समूह के समान यह ऐसी दूसरी स्थानीय संस्था है जो परियोजना काल के बाद भी कायम रहेगी।

ग्राम उत्थान समिति, विकास के लिए गांव में समझ विकसित करके और गांव वाले अपने गांव की अगले पांच वर्ष में क्या प्रगति देखना चाहते हैं, ऐसा नक्शा विकसित कर गांव के लोगों में उत्साह जगा सकती है। वह लोगों को साथ में काम करने के अवसर दे सकती है। परियोजना काल के दौरान ग्राम उत्थान समिति गांव के विभिन्न हित–समूहों के साथ चर्चा करना सीखेगी, योजना बनाएगी, विशेष गतिविधियां लागू करने और उन पर नजर रखने के लिए तरीके विकसित कर सकेगी, जिम्मेदारियां बांटना, आपसी झगड़ों का निपटारा करना और बाहरी माहौल से निपटने की क्षमता विकसित करना। संसाधनों को जोड़ने और उन्हें विकसित करने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अतः ग्राम उत्थान समिति की भूमिका निम्नानुसार है–

1. समहित समूह के प्रस्तावों को मिलाकर गांव की योजना बनाना।
2. प्रस्ताव के आधार पर काम कैसा हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना।
3. समहित समूह के हिसाब–किताब की जांच पड़ताल करना और सहयोग करना।
4. संसाधन की अन्य एजेंसियों से सम्पर्क करना और अतिरिक्त संसाधन जुटाना।
5. गांव के विकास के लिए गांव के लोगों में सोच और गांव का नक्शा विकसित करना।
6. समहित समूहों के आवश्यक प्रशिक्षण, एक्सपोजर यात्रा के लिए परियोजना से समन्वयन करना।
7. अन्य गांवों के अच्छे समहित समूहों (समग्र समूहों) के कार्यों को देखना एवं उनसे सीख लेना।
8. एक ही तरह की गतिविधियों के समहित समूहों के लिए बाहरी संसाधन जुटाना।

4.29.2.2 ग्राम उत्थान समिति की कार्यप्रणाली

बैठकें – ग्राम उत्थान समिति की नियमित बैठकें होने से ग्राम उत्थान समिति गांव के मामलों में एक जिम्मेदार कार्यपालक के रूप में विकसित होती है। बैठक बुलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। बैठक का दिन, स्थान और समय सभी सदस्यों की सुविधा के अनुसार तय किया जाता है। सभी उपस्थित सदस्यों को बैठक में ही ''बैठक की कार्यवाही की पुस्तक'' में हस्ताक्षर करना होता है। जब किसी समहित समूह की उपयोजना समाप्त हो जाएगी और समिति को यह लगेगा कि अब उस समूह के प्रतिनिधि को सदस्य रखने की आवश्यकता नहीं है तो उसकी सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है। समिति में नए सदस्यों के जुड़ने अथवा कम होने की जानकारी सहयोग दल को रहनी चाहिए।

निर्णय लेना – सभी महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में ही किये जायेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 80 प्रतिशत कोरम होना जरूरी है। सामान्यतः निर्णय सर्वसम्मति से हो। मतदान होने की स्थिति में पदेन सदस्य (पंचायत सदस्य) मत नहीं देंगे।

4.30 अपना कोष

समहित समूहों से प्राप्त योगदान और गांव की सार्वजनिक गतिविधियों, जैसे तालाब का जीर्णोद्धार, चारागाह विकास, वनीकरण आदि के लिए दिया गया योगदान **अपना कोष** में रखा जाता है। यह राशि सम्पत्ति के रखरखाव और अन्य विकास गतिविधि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस कोष में उपलब्ध राशि समहित समूह को कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ब्याज पर ऋण देने के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है। समहित समूह को कर्ज देने की शर्तें और ब्याज दर तय करने के लिए ग्राम उत्थान समिति स्वतंत्र रहती है। चुकाई गई राशि अपना कोष में जाएगी। अपना कोष में समहित समूह द्वारा जमा की गई (10 प्रतिशत) योगदान राशि गांव की निधि के रूप में रहेगी। इसका उपयोग गांव के निवेशों के लिए किया जाएगा न कि व्यय के लिए। परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद **अपना कोष** गांव के लिए एक दीर्घकालीन टिकाऊ निधि का रूप ले लेगा। परियोजना के द्वारा यह कोशिश की जावेगी कि गांव के लोग अपना कोष में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। अपना कोष का उपयोग बैंकों और अन्य सरकारी योजनाओं से राशि पाने के लिए योगदान के रूप में किया जाना चाहिए किन्तु यह निर्णय ग्राम सभा द्वारा हो।

समहित समूह द्वारा अलग से खोले गये **अपना कोष** के खाते में राशि जमा की जावेगी। किसी भी समहित समूह से राशि प्राप्त होने के तत्काल बाद उसे 3 वर्ष की सावधि जमा योजना में जमा किया जावेगा। सहयोग दल सुनिश्चित करेगा कि जिस तारीख से उस गांव में पहले समहित समूह द्वारा राशि सावधि जमा योजना में 3 वर्ष डाली गई है, अगले समहित समूहों द्वारा अपना कोष में जमा राशि को भी इस प्रकार सावधि जमा योजना में डाला जावेगा जिससे एक ही तारीख को सकल राशि आहरित की जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था में केवल प्रथम समूह का पैसा 3 वर्ष की अवधि का रहेगा तथा उसके बाद वाले समूहों का पैसा 3 वर्ष से कम अवधि के रहेंगे।

4.31 उप–योजनाएं

उप–योजनाएं समहित समूह द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव हैं। ये प्रस्ताव कई प्रकार की गतिविधियों के लिए, याने आय बढ़ाने से लेकर बुनियादी ढांचे तक के लिए हो सकते हैं। परियोजना में आवश्यक धन उपलब्ध कराके लोगों की जरूरतों को पूरा किया जावेगा, बशर्ते कि लोग गतिविधि को पूरा करने के लिए एकजुट हों और अपना योगदान देने के लिए तैयार हों।

4.31.1 उप–योजनाओं के प्रकार

उप–योजनाएं मोटे तौर पर निम्न प्रकार की हो सकती हैंः–

1. सामाजिक स्थिति से जुड़े बुनियादी–ढांचों के प्रस्ताव– इस प्रकार के प्रस्ताव गांव की पूरी आबादी या उसके बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं, इनके उदाहरण हैं– स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा का ढांचा, आदि। बुनियादी सामाजिक ढांचे के प्रस्तावों की योजना बनाने का काम और उनका क्रियान्वय गरीब लोगों से बने समहित समूह द्वारा किया जाए।

2. आर्थिक स्थिति से जुड़े बुनियादी–ढांचे के प्रस्ताव– ये प्रस्ताव आर्थिक गतिविधियों के लिए ढांचा बनाते हैं जैसे भूमि उत्पादकता, मछली पालन और पानी की उपलब्धता में वृद्धि। समहित समूह से आए आर्थिक प्रस्ताव में अंततः सदस्यों की आय बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए।

3. आमदनी मूलक प्रस्ताव– ये प्रस्ताव समहित समूह सदस्यों की आमदनी में वृद्धि के उद्देश्य के होते हैं।

4. ज्ञान बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव– ये प्रस्ताव ग्राम के लोगों का कौशल या ज्ञान बढ़ाते हैं– जैसे कानूनी कामकाज का ज्ञान, स्थानीय परिस्थितियों में किसी खास फसल, बागवानी आदि को पैदा करने/अपनाने के तरीके, बुनकरों को रंगाई की तकनीक बेहतर करने का तरीका आदि। यदि गांव में व आसपास के गांव में 10 से ज्यादा लोग (जो एक अस्थायी समहित समूह का गठन कर सकते हैं) किसी विशेष जानकारी या प्रशिक्षण की मांग करते हैं तो ज्ञान बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार हो सकता है।

5. सार्वजनिक बुनियादी–ढांचे के प्रस्ताव– ये प्रस्ताव ऐसे बुनियादी–ढांचों से संबंधित हैं जो समहित समूह की आय बढ़ाने की गतिविधियों में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय प्रोसेसिंग इकाईयां, मुर्गीपालन के उत्पाद बेचने के लिए बुनियादी–ढांचा बनाना आदि। इस प्रस्ताव का बजट लाभांवित होने वाले लोगों की संख्या के अनुपात में होगा। समहित समूहों के ऐसे प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाए जब प्रस्ताव देने वाले समूह में पर्याप्त रूप से जम चुके हैं और कामकाज की देखरेख करने के लिए लोगों द्वारा, संघ (फेडरेशन) या कम्पनी जैसी कोई संस्था स्थापित कर ली गई है।

6. नवाचार वाले तकनीकी प्रस्ताव– वित्तीय सहायता के लिए सहयोग दल से आए नवाचार वाले तकनीकी और संस्थागत प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है। उदाहरण के लिए, सिंचाई की तकनीक में नवाचार, फसल उत्पादन की नई तकनीक का प्रदर्शन, स्थानीय परिस्थितियों में सिंचाई के नए तरीके कृषि की नई फसलों का प्रदर्शन आदि। यह प्रस्ताव नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए है और समस्याओं के नए हल खोजने या गरीबों के बीच गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। सहयोग दल सीधे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। चूंकि यह संभावना नहीं है कि समहित समूह बिना परखी गई गतिविधियों को हाथ में लेना चाहेंगे। नवाचार में सफलता मिलने के बाद, उन गतिविधियों को समहित समूह के माध्यम से लिया जा सकेगा। ग्राम सभा को ऐसे प्रस्तावों को तो अनुमोदन देना ही है लेकिन इनकी स्वीकृति जिला स्तर पर ही मिलेगी।

7. कई गांव के मिलेजुले प्रस्ताव– कुछ ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जो कई गांवों को प्रभावित करेंगे। तब इन गांवों को अपने संसाधन इकट्ठा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, सिंचाई योजनाएं, सार्वजनिक बुनियादी–ढांचा आदि। ऐसे प्रस्तावों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है लेकिन उन्हें मंजूरी जिला स्तर से मिलेगी।

4.32 जिला स्तरीय

परियोजना शासन की विकेन्द्रीगत व्यवस्था के अनुरूप है। शुरू में परियोजना की गतिविधियों की पहल राज्य परियोजना इकाई द्वारा की जावेगी लेकिन जैसे ही जिले का ढांचा बन जाता है जिला सहयोग इकाई काम को सुगम बनाने, उसकी देखरेख करने, उसके लिए बजट आवण्टित करने आदि का जिम्मा ले लेगी। तब राज्य परियोजना इकाई का काम सिर्फ देखरेख करना और सहयोग देना रहेगा। जिले को भविष्य में जो राशि मिलेगी, वह इस पर निर्भर है कि जिले में काम कैसा रहा है।

जिला पंचायत में परियोजना उपसमिति जिले का महत्वपूर्ण निकाय है। इस उपसमिति को जिला सहयोग इकाई की सहायता मिलेगी। जिला क्षमता विकास संगठन (डीसीबीओ) जिले में क्षमता विकसित करने का काम करेगा और परियोजना के लिए मानव संसाधन के विकास की व्यवस्था करेगा। सहयोग दल 25 से 30 गांवों के संकुल (क्लस्टर) में काम करेगा और समहित समूह तथा ग्राम उत्थान समिति के गठन को सुगम बनाएगा और उपयोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन

में सहायता करेगी। परियोजना के बुनियादी सिद्धान्त लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले में एक संवाद इकाई अलग से रखी गई है।

4.33 जिला पंचायत की परियोजना उपसमिति

परियोजना उपसमिति, जिला पंचायत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका गठन परियोजना के लिए खास तौर पर किया गया है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी यह है कि वह जिले में परियोजना पर नजर रखे और उसको मार्गदर्शन दें।

4.33.1 गठन और सदस्यता

जिला पंचायत की उपसमिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होंगें। इस उपसमिति में परियोजना में चयनित क्षेत्रों के सांसद, विधायक, विधायक, जिला पंचायत सदस्य व जनपद अध्यक्ष, सदस्य होंगे। साथ ही समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (नोडल अधिकारी के रूप में), दो गैर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि जो परियोजना क्रियान्वयन में सम्मिलित हैं, दो समहित समूह के सदस्य, दो सहयोग दल के प्रतिनिधि व दो प्रतिनिधि ग्रामस्तरीय ग्राम उत्थान समिति के सदस्यों में से होंगे। उपसमिति के संयोजक जिला परियोजना प्रबंधक होते हैं। जिला पंचायत की परियोजना उपसमिति की सदस्यता मानसेवी है और इसके लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाता है।

जिला परिषद की परियोजना उपसमिति का गठन परियोजना के शुरू में उन सदस्यों में से कर लिया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हों। कुछ समय बाद जब ग्राम उत्थान समिति बन जाएंगी तब उसके सदस्य उपसमिति में शामिल हो जाएंगे।

4.33.2 भूमिका और जिम्मेदारियां

जिला पंचायत की परियोजना उपसमिति देखरेख करने और मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण काम करेगी। इसके साथ ही उसे जिला स्तर के मुद्दों पर निर्णय लेना होगा, जैसे – क्षमता बढ़ाने के काम करना, गरीबों को लक्षित करने के लिए गांवों में जो काम हो रहा है उसका आंकलन करना है और गांवों को बजट आवण्टित करने के बारे में निर्णय लेना।

उपसमिति के कुछ और भी महत्वपूर्ण काम हैं जैसे परियोजना के लिए एक उचित राजनीतिक माहौल बनाना, संसाधनों के उचित बंटवारा और यह प्रयास करना कि

गांवों को समुचित राशि आवण्टित की जावे जिससे परियोजना गरीबी से संबंधित मुद्दों से ठीक से निपट सके। परियोजना उपसमिति परियोजना के कर्मचारियों को इस बात के लिए सहयोग और प्रोत्साहन दें कि वे जिले के संबंध में जो नजरिया तय किया गया है उसे प्राप्त कर सकें। वह गैर सरकारी संस्थाओं से भी समन्वय करेगी।

4.34 जिले के नजरिये का विकास

उपसमिति को विभिन्न भागीदारों से चर्चा करके जिले का एक नजरिया विकसित करना, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में सभी का सहयोग और मार्गदर्शन मिल सके। गरीबों और साधनहीन लोगों के सशक्तीकरण का और गरीबी कम करने का जो मकसद है उसे पाने के लिए सभी के मन में उत्साह होना चाहिए। स्वशासन और समानता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला पंचायत को इस दिशा में चलना है।

4.35 जिला पंचायत की परियोजना उपसमिति की कार्यप्रणाली

बैठकें – उपसमिति की बैठक एक निश्चित तारीख (जैसे हर माह के दूसरे सोमवार को या जैसा उपसमिति तय करे), समय और स्थान पर हर माह होगी। यदि किसी कारण से स्थान और समय बदलना पड़ा तो जिला सहयोग इकाई इस परिवर्तन के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देगी। उपसमिति की आपात बैठक बुलाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष को उचित समय देते हुए सूचना जारी कराना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो बैठक में जो सदस्य हाजिर हैं वे उस बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने में से ही एक सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। जिला परियोजना प्रबंधक बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे और संबंधित कागजों के साथ उसे सभी सदस्यों को भेजेंगे। सभी बैठकों का विवरण नियमित रूप से रखा जाएगा और उपस्थित सदस्य बैठक में ही ''बैठक की कार्यवाही की किताब'' में दस्तखत करेंगे।

निर्णय लेना – किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्य कोरम के लिए जरूरी हैं। बैठक में चर्चा और परामर्श के बाद ही निर्णय लिए जाने चाहिए अपवाद स्वरूप ही निर्णय लेने के लिए मतदान किया जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष तभी मतदान करेंगे जब दोनों पक्षों के मत बराबर हों।

फील्ड का भ्रमण – जिन गांवों में परियोजना लागू है उन गांवों का भ्रमण करना, परियोजना उपसमिति के काम का हिस्सा है। इन भ्रमणों का मकसद चल रहे कार्यक्रम

की समीक्षा करना या उनकी गलती निकालना या उनकी आलोचना करना नहीं हैं, बल्कि जो लोग योजना को क्रियान्वित करने में लगे हैं उन्हें उत्साहित करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना और उनको सहयोग देना है। उपसमति के सदस्य छोटे दल बनाकर गांव का भ्रमण करेंगे और परियोजना के उद्देश्यों को पाने के लिए सहयोग दल और गांव वालों को प्रोत्साहित करेंगे व उन्हें सहयोग देगें। ये दल बैठक में गांवों में हुए काम के विकास के बारे में उपसमिति को जानकारी देगें और वहां की समस्याओं तथा उनके हल के बारे में भी समिति को बताएँगे। सदस्यों का ग्राम भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्रियान्वयन की सीधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

4.36 जिला सहयोग इकाई (डीपीयू)

जिला सहयोग इकाई के प्रमुख जिला परियोजना प्रबंधक हैं। जिला सहयोग इकाई का कार्य प्रशासकीय तथा मैदानी अमले व समुदाय को आवश्यक सहयोग देना है। इकाई की जबावदारी है कि परियोजना का कार्य सुगमता से चले। यह जिला और राज्य परियोजना इकाई के बीच एक कड़ी का भी काम करेगी।

गठन और सदस्यता – जिल सहयोग इकाई में जिला परियोजना प्रबंधक, वित्त प्रबंधक एवं तकनीकी कोर ग्रुप रहेगा। इस तकनीकी कोर ग्रुप में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्य जैसे मॉनीटरिंग एवं लर्निंग समन्वयक, जेण्डर समन्वयक एवं विषय विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। सभी अपने–अपने कार्यों का संपादन करेंगे।

भूमिका और जिम्मेदारियां – जिला सहयोग इकाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराये। वह जिला पंचायत की उपसमिति द्वारा की जाने वाली चर्चा से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार करेगी। जिला सहयोग इकाई फील्ड की सभी गतिविधियों का समन्वय करेगी। मैदानी स्तर पर कठिनाईयों का उचित निराकरण करना, मॉनिटरिंग करना तथा स्वीकृत राशि आवंटन करना इसकी जबावदारी में शामिल है। जिला सहयोग इकाई की यह जिम्मेदारी है कि वह सहयोग दल समन्वयकों और सदस्यों में कौशल का विकास करे जिससे वे परियोजना के उद्देश्यों और जिले के नजरिये को पा सकें। जिला सहयोग इकाई की कुछ खास गतिविधि निम्न है–

समहित समूह को भुगतान करना – जिला सहयोग इकाई समहित समूह से प्रस्ताव प्राप्त करती है। वह यह पड़ताल करती है कि प्रस्ताव पूरे हैं या नहीं, उनमें सभी विवरण दिया गया है या नहीं। ग्राम उत्थान समिति ने उन्हें मंजूरी दे दी है या नही,

ग्रामसभा ने उसे स्वीकृत किया है या नहीं, और सहयोग दल ने उसे पर्यावरण के हिसाब से ठीक पाया है या नहीं। वह यह भी देखती है कि प्रस्ताव गांव के बजट के दायरे में है या नहीं। जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा मंजूरी दिये जाने पर लेखा शाखा बैंक को निर्देश देगी कि वह स्वीकृत राशि बैंक ट्रान्सफर के जरिये समहित समूह के खाते में जमा कर दे। जो प्रस्ताव पूरी तरह से ठीक होते हैं उनमें जिला सहयोग इकाई को प्रस्ताव मिलने से लेकर बैंक को भुगतान करने का निर्देश देने तक की कार्यवाही होने में दस दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यह सहयोग दल की जिम्मेदारी है कि वे ही प्रस्ताव जिला सहयोग इकाई को भेजे जो पूर्ण हों। परियोजना के प्रारंभ में जब तब सहयोग दल पूरी तरह से उपयोजना की पूर्णता की जांच करना न सीख ले, जिला सहयोग इकाई को ज्यादा ध्यान देना होगा। जिला सहयोग इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ छोटे तकनीकी कारणों से उपयोजना की अनावश्यक लौटाफेरी न हो। यदि प्रस्ताव में कोई कमी है तो सहयोग दल को एक निश्चित समय सीमा में उसे पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिया जाना चाहिए। जो भी भुगतान किये जाएंगे वे प्रस्ताव में दी गई इस्तेमाल योजना में दिए गए ''भुगतान के विशेष निर्देशों'' के साथ भेजे जाएंगे।

सहयोग के लिए, लोगों को पारिश्रमिक पर लेना – जिला सहयोग इकाई की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वह सहयोग दल के साथ गांव की संस्थाओं को सहयोग दे। यह सहयोग क्षमता बढ़ाने, कौशल का विकास करने, तकनीकी सहयोग देने और ऐसी गतिविधियों के बारे में हो सकता है जिनसे परियोजना के उद्देश्य ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरे हो सकते हैं। इसके लिए थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए संस्थाओं या लोगों से सहयोग लेने की जरूरत पड़ सकती है। परियोजना के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक देकर इनसे काम लिया जा सकता हैं।

सहयोग दल के सदस्यों की नियुक्ति – सहयोग दल में एक समन्वयक और 3–4 सदस्य होगें जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। सदस्यों का चयन राज्य परियोजना इकाई द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से किया जाता है। महिला सदस्य यदि सरकारी विभागों से नहीं मिलतीं तो उन्हें अनुबंध पर लिया जा सकता है।

प्रतिवेदन – जिला सहयोग इकाई जिला पंचायत की उपसमिति और राज्य परियोजना इकाई की आवश्यकतानुसार परियोजना और वित्त प्रतिवेदन तैयार करेगी। इसके लिए समयसीमा का कठोरता से पालन किया जावेगा।

4.36.1 कार्यप्रणाली

बैठकें – सप्ताह में एक बार (जैसे सोमवार को या जैसा भी तय हो) जिले के परियोजना के सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। वे उस दिन बाहर गांवों में काम के लिए नहीं जावेंगे। इसकी जानकारी सभी को व्यापक रूप से दी जाएगी और इसे ''आम बैठक का दिन'' कहा जावेगा। इससे फायदा यह होगा कि जो भी व्यक्ति जिला कार्यालय में किसी से मिलना चाहेगा तो उसे वह व्यक्ति उस दिन कार्यालय में ही मिलेगा। दूसरे, यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्दे का हल चाहता है तो उसे उस दिन संबंधित लोग कार्यालय में मिल जावेंगे और वह मामला संबंधित व्यक्ति की गैरहाजिरी के कारण स्थगित नहीं होगा। जिला सहयोग इकाई के सभी सदस्य सप्ताह में एक दिन औपचारिक रूप से मिलेंगे और अगले सप्ताह की योजना पर चर्चा और विचार–विमर्श करेंगे तथा जो मामले उनके पास लम्बित पड़े हैं उन्हें भी निपटाएंगे। जिला सहयोग इकाई के सभी सदस्य और सहयोग दल के समन्वयक माह में एक बार पहले से तय किये गए दिन को मिलेंगे। जिला सहयोग इकाई और सहयोग दल के सदस्य तीन माह में एक बार एक दिन के लिए जिला पंचायत परियोजना उपसमिति के सदस्यों से मिलेंगे। यह दिन भी पहले से तय रहेगा (जैसे तिमाही के अन्तिम सप्ताह का मंगलवार – मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में)। असाधारण स्थितियों में जिला परियोजना प्रबंधक जल्दी बैठक बुला सकते है।

गांवों का भ्रमण – जिला सहयोग इकाई के सभी सदस्य सप्ताह में कम से कम दो दिन के लिए गांवों में जाएंगे। जो कर्मचारी गांवों से संबंधित कामों में लगे हैं, जैसे जेन्डर, मॉनीटरिंग, कृषि, सिविल इंजीनियर आदि, वे सहयोग दल के साथ और गांव वालों के साथ ज्यादा समय बिताकर उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन देगें। जिला सहयोग इकाई के सदस्य समहित समूहों से मिलने के दौरान निम्न मुद्दों पर अवश्य चर्चा एवं परीक्षण करें।

लेखा – परियोजना के लिए विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन विकसित किया गया है। इसके स्पष्टीकरण के लिए लेखा नियमावली या कार्यवाही की किताब को देखा जा सकता है। समहित समूहों के निवेश हेतु दी गई राशि व्यवस्था में होने वाले खर्च में इस्तेमाल नहीं की जावेगी।

4.36.2 जिला सहयोग इकाई के कामकाज का मूल्यांकन

जिला सहयोग इकाई के काम की माप दो मानदण्डों से की जाएगी–

1. सहयोग दल द्वारा किया गया काम – जिले में सहयोग दल ने जो काम किया है कुल मिलाकर उसी से पता चलता है कि जिला सहयोग इकाई ने कितना काम किया है।

2. परियोजना में भागीदार लोगों और संस्थाओं से कितना सहयोग लिया गया है ताकि वे परियोजना के उद्देश्यों और जिले के नजरिये को पूरा करने के लिए काम कर सकें।

4.37 किये गये काम की माप

सहयोग दल द्वारा किये गए काम का औसत : सहयोग दल ने जो काम किया है उसे 0–100 के मान से मापा जाएगा। सहयोग दल ने जितने औसत अंक पाए हैं वे ही जिला सहयोग इकाई के काम के प्राप्तांक होंगे।

बाहरी सहयोग (convergence): इसे इस तरह मापा जाएगा कि परियोजना के बाहर की संस्थाओं/विभागों ने जिले के परियोजना के नजरिये और उसकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए बिना कोई मुआवजा लिए परियोजना के लिए कितना समय दिया है और कितनी राशि का योगदान दिया है। यह नीचे लिखे वर्ग के व्यक्तियों/संस्थाओं पर लागू होता है।

- पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि
- राज्य शासन के विभिन्न विभाग
- वे गैरसरकारी संस्थाएं और स्वशासी संस्थाएं तथा व्यक्ति जो परियोजना के भाग नहीं हैं।

पहले साल ''सहयोग दल का कामकाज'' 90 प्रतिशत के हिसाब से तौला जाएगा। जैसे–जैसे बाहरी सहयोग मिलने पर वजन दिया जाएगा, वैसे–वैसे 5 साल में यह घटकर 50 प्रतिशत तक रह जाएगा। हर साल वजन का जो बदलाव होता है वह नीचे की सारिणी में बताया गया है।

मूल्यांकन का मापदण्ड	वजन प्रतिशत में				
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
सहयोग दल के काम का औसत	90	80	70	60	50
बाहरी सहयोग	10	20	30	40	50

4.38 सहयोग दल या पीएफटी

सहयोग दल परियोजना की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सहयोग दल 25 से 30 गांव में काम करेगा और समहित समूह और ग्राम उत्थान समिति के गठन में सहायता करेगा और उन्हें आगे विकसित करेगा।

गठन और सदस्यता – सहयोग दल में एक समन्वयक और चार सदस्य होंगे जिसमें महिलाएं भी रहेंगी। सहयोग दल का गठन या तो गैर–सरकारी संस्थाएं करेंगी या सरकार के वे लोग करेंगे जो अपने विभागों से परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर आये हैं। परियोजना में आने वाले ये सभी लोग राज्य परियोजना इकाई की चयन प्रक्रिया द्वारा चुने जाएंगे। जिले के कुल सहयोग दल में से एक–तिहाई सहयोग दल गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा गठित किये जा सकेंगे। सरकारी सहयोग दल के लिए समन्वयक राज्य परियोजना इकाई के द्वारा नियुक्त चयन पैनल द्वारा चुने जाएंगे और सदस्य जिले में से चुने जाएंगे। जहां भी जिले में महिला सदस्य उपलब्ध नहीं हैं वहां उन्हें अनुबंध पर बाहर से ले लिया जा सकेगा।

4.38.1 भूमिका और जिम्मेदारियां – सहयोग दल निम्नलिखित कार्य संपादित करेंगे–

- अपने क्लसटर के गांवों में वातावरण निर्माण, शुरूआती कार्य (यदि आवश्यक हो) प्रारंभ करना एवं इसके द्वारा समुदाय को परियोजना की जानकारी देना।
- गांवों में आर्थिक श्रेणीकरण / वेल्थ रैंकिंग कर परिवार सूची बनाना एवं गांव की मूलभूत जानकारी एकत्रित करना।
- गतिविधियों को लेकर जो समुदाय के लोग आगे आए हैं उन्हें समहित समूह गठित करने हेतु सहयोग देना।
- समूह द्वारा चयनित गतिविधि के लिए प्रस्ताव बनाने में समहित समूह की सहायता करना।

- समहित समूह/ग्राम उत्थान समिति को जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहयोग दिलाने में सहायता करना।
- बैंक, सरकारी कार्यालय, बाजार और मण्डियों आदि से संपर्क कायम करने में समहित समूह/ग्राम उत्थान समिति की सहायता करना।
- पर्यावरण से जुड़ी जो अनुमति चाहिए वह दिलवाना
- जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण दिलवाना
- समहित समूह और ग्राम उत्थान समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाना
- देखरेख करना और अनुभवों का लेखन

सहयोग दल इस तरह की प्रक्रियाओं में समुदाय को सहयोग प्रदान करेंगे जिससे गांव वाले स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर सकें और उनके समाधान के विकल्पों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करें और वे स्वयं विचार करें कि आने वाले वर्षों में वे अपने आपको एवं अपने गांव को कहां देखना चाहते हैं।

4.38.2 कार्यप्रणाली

मैदानी कार्यालय – सहयोग दल का कार्यालय गांवों के संकुलों में स्थापित किया जाता है जिससे गांव के लोग आसानी से संपर्क कर सकें। संगठक संस्था को समन्वयक सहयोग दल के विस्तार के रूप में देखा गया है। ये दोनों एक–दूसरे के पूरक होंगे। जहां तक संभव हो, गांव में प्रथम प्रवेश, संगठक संस्था एवं समन्वयक सहयोग दल का साथ–साथ होता है। कभी–कभी सामूहिक भ्रमण भी वांछनीय है। समन्वयक सहयोग दल की अनुपस्थिति में भी किसी कार्य की आवश्यकता क्षेत्र में महसूस की जाती है तो संगठक संस्था का दायित्व होगा कि वे उनके पूरक के रूप कार्य करे।

बैठकें – सप्ताह में एक दिन टीम की बैठक होगी जिसमें वे अपनी प्रगति और परेशानियों पर चर्चा करेंगे और अगले सप्ताह की योजना बनाएंगे। बैठक में सदस्य यह तय करेंगे कि वे कैसे एक दूसरे को सहयोग दें। इन बैठकों में मिलजुलकर गांवों का भ्रमण करने की योजना भी बनाई जाएगी। माह में एक बैठक जिला परियोजना इकाई के साथ होनी चाहिए जिसमें जिले की समस्त संगठक संस्था एवं समस्त समन्वयक सहयोग दल भाग लेंगे। उक्त बैठक की जानकारी राज्य स्तर पर प्रेषित की जानी चाहिए ताकि राज्य प्रतिनिधि भी आश्यकतानुसार भाग ले सके। माह में एक बार (पूर्व निर्धारित

तिथियों पर) जिला स्तर पर बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें समन्वयक सहयोग दल, संगठक संस्था, जेन्डर समन्वयक एवं जिला परियोजना के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

खाता और वित्त – सहयोग दल बैंक में अपना खाता रखेगी। हर महीने का फुटकर खर्च, पहले से तैयार किये गए बजट के अनुसार सहयोग दल के खाते में बैंक ट्रांसफर द्वारा जिला सहयोग इकाई द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पूरक बजट जिला सहयोग इकाई को एक माह पहले भेज दिया जाएगा। परियोजना के सदस्य कोई सामुदायिक निवेश की राशि हाथ में नहीं लेंगे। सिर्फ शुरूआती काम के दौरान या किसी नवाचार के लिए वे ऐसा कर सकते हैं।

डायरी रखना – सभी सहयोग दल सदस्य रोज की घटनाओं, महत्वपूर्ण मुद्दों, नई सीख और घटनाओं में आए मोड़ आदि को दर्ज करने के लिए एक डायरी रखेंगे। डायरी परियोजना का हिस्सा न होकर एक व्यक्तिगत दस्तावेज रहेगी। अगर कोई चाहे तो अपनी डायरी के विवरण के आधार पर एक अलग टिप्पणी सभी की जानकारी के लिए लिख सकता है।

4.38.3 सहयोग दल के द्वारा किये गए काम का मूल्यांकन

सहयोग दल ने जो काम किया है उसका मूल्यांकन बराबर वजन वाली दो बातों के आधार पर किया जाएगा।

1. सामुदायिक समूहों की गुणवत्ता – यानि समहित समूहों की गुणवत्ता।
2. सहयोग दल की पहुंच – गठित किये गए समूहों की संख्या और शामिल किए गए परिवारों की संख्या।

सहयोग दल जो समहित समूह गठित करेगा, उनके द्वारा किये गए काम पर मिले अंकों के औसत से समूह की गुणवत्ता मापी जाती है। साल के शुरू में जो लक्ष्य तय किया जाता है उसे पूरा करने के लिए जितने परिवार शामिल किये गये हैं उसके अनुपात से यह तय किया जाता है कि सहयोग दल की पहुंच कितनी रही है।

4.39 जिला क्षमतावर्धन इकाई

समुदाय के समूहों को और सहयोग दल को ज्यादा योग्य बनाने के लिए सभी जिलों में एक जिला क्षमतावर्धन इकाई की व्यवस्था की जाएगी। जिला क्षमतावर्धन

इकाई का मुखिया जिला सहयोग इकाई में क्षमता विकास समन्वयक का काम भी करेंगे। यह जिले की इकाई में वरीयता में दूसरे स्थान पर होंगे।

4.40 परियोजना में स्वयं सेवी संस्थाओं/स्वेच्छी संस्थाओं की भूमिका

परियोजना में अशासकीय संस्थाएं निम्नलिखित गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इन संस्थाओं का चयन परियोजना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों हेतु किया जाता है।

पी.एफ.एस.ओ. (परियोजना):- जैसा कि स्पष्ट है कि सहयोग दल शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के हो सकते हैं। स्थापित अशासकीय संस्थाएं जिनका समूह आधारित विभिन्न गतिविधियों में विस्तृत अनुभव एवं कार्यक्षेत्र हो परियोजना के क्षेत्र में सहयोग दल **(पी.एफ.एस.ओ.)** गठित कर सकते हैं।

4.41 एम.एस.ओ. (समुदाय संगठक संस्था)

एम.एस.ओ. – परियोजना का कार्य मल्टी सेक्टोरल गतिविधियों से संबंधित है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे बागवानी, मुर्गीपालन, सिंचाई की नई तकनीक, नई फसलों का उत्पादन इत्यादि में उन सस्थाओं की आवश्यकता पड़ सकती है जिनका इन क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव है। इनका उपयोग विषय विशेष में शोध, अध्ययन, विश्लेषण इत्यादि हेतु किया जा सकता है। संगठक संस्था (एम.एस.ओ.) को समन्वयक सहयोग दल के विस्तार के रूप में देखा गया है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक होंगे। प्रारंभ में वातावरण निर्माण समूह गठन एवं समूह को गतिशील बनाने में संगठक संस्था की अहम भूमिका होगी परन्तु इसके लिए कार्य योजना समन्यवक सहयोग दल के साथ तैयार की जानी चाहिए। समहित समूह गठन के बाद संस्था को धीरे-धीरे अपने आपको पीछे करते हुए समूह को कार्य सौंप देना चाहिए। समन्वयक सहयोग दल एवं संगठक संस्था का क्षेत्र में विकास का सामूहिक दायित्व होगा। संगठक संस्था द्वारा विभिन्न आयामों पर आवश्यकतानुसार समन्वयक सहयोग दल को सहयोग करना चाहिए यथा बेसलाईन सर्वे, अनुभवों का आदान-प्रदान, व्यूह रचना तैयार करना, कार्ययोजना में सहयोग एवं समन्वय करना, प्रचार-प्रसार में सहयोग, स्थानीय भाषा में जानकारियां देना आदि। संस्था की भूमिका संकुल तथा ग्राम स्तर पर महिलायें एवं अन्य गरीब वर्ग के लोगों को, सहयोग दल के साथ समन्वय कर, समहित समूह में संगठित करने की होगी। संस्था को परियोजना द्वारा अधिकृत कार्यक्षेत्र, के प्रत्येक गांव में औसतन 3 समहित समूह परियोजना के लक्षित परिवारों के सदस्यों को प्रेरित कर बनाया जाना है। यह

अपेक्षा है कि इन समूहों में 90 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के हों। परियोजना में उपरोक्त संस्था की भूमिका संकुल तथा ग्राम स्तर पर महिलायें एवं अन्य गरीब वर्ग के लोगों को, सहयोग दल के साथ समन्वय कर, समूह में संगठित करने की होगी। संस्था को परियोजना द्वारा अधिकृत कार्यक्षेत्र, के प्रत्येक गांव में औसतन 3 समहित समूह परियोजना के लक्षित परिवारों के सदस्यों को प्रेरित कर बनाया जाना है।

संक्षेप में, डीपीआईपी का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के लिए ऐसा अवसर निर्मित करना है जिससे वे अपने विकास में स्वयं भागीदार बन सके और विकास की दिशा पर उनका नियंत्रण भी हो। वे अपनी क्षमता का विकास कर अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। इन उद्देश्यों की प्राप्ति एक महिला अकेले नहीं कर सकती इसलिए इसे समूह के माध्यम से पाने का प्रयास किया जाता है। चूँकि गाँव में कई प्रकार के कौशल विद्यमान होते हैं और उन्हें परिष्कृत कर बाहरी दुनिया में लाने की आवश्यकता है इस काम में ग्रामीण लोगों की मदद डीपीआईपी करता है और उनके कौशल को उभारता है। समूह के माध्यम से लोगों के बीच संवाद कायम करना, संगठित करना तथा उन्हें मजबूत बनाना, मानव संसाधन का विकास करना और उसकी क्षमता को बढ़ाना, योजना के माध्यम से समूह को आय मूलक गतिविधि से जोड़ना और उसका क्रियान्वयन करना, समय–समय पर प्रशिक्षण देना आदि कार्यों को संपादित करना। साथ ही समहित समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तौर पर सशक्त करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण बन सके। समहित समूहों की संपूर्ण कार्यप्रणाली को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इसमें गाँव में संबंध स्थापित करने से लेकर समहित समूहों के गठन के बाद उनके प्रत्येक कार्यों में किस तरह से सहयोग हो सकता है सभी बातों को विश्लेषित किया गया है।